न्यायालयः- विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज संख्या-1, किशनगढ़ जिला अजमेर
(अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 01, किशनगढ़ जिला अजमेर)

पीठासीन अधिकारी	:	संदीप आनन्द, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	22/2020
सी.आई.एस. नंबर	:	22/2020
परिवाद संख्या	:	01/2020 सीबीएन कोटा

भारत सरकार, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा राजस्थान जरिये उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा

बनाम

1- प्रेम प्रकाश पुत्र श्री भीयाराम विशनोई, उम्र 39 वर्ष, निवासी केरियो की ढाणी, रामनगर तहसील एवं थाना बिलाडा. जिला जोधपुर (राज)
2- भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र जब्बर सिंह, उम्र 36 वर्ष निवासी चारणो का वास, ग्राम सुरायता, तहसील सोजत सिटी थाना शिवपुरा जिला पाली (राज.)
3- राकेश पुत्र कालूराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पीथासनी, हाल मुकाम 55 हीरानगर झालामाण्ड बाई पास पुलिस थाना कुडी भगतासनी जोधपुर (राज.)
4- श्रवण पुत्र फसाराम सारस्वत, उम्र 28 वर्ष, निवासी मालानीवास, वार्ड नंबर 4 नोखा, तहसील एवं थाना नोखा, जिला बीकानेर, राज.।
5- जयराम पुत्र पेमाराम उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम गुढा विश्नोईयान, हाल मुकाम 67 हीरानगर, झालामण्ड बाईपास, पुलिस थाना कुडी भगतासनी, जोधपुर (राज.)। अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/25, 8/29 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थितिः-

1- श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान अपर लोक अभियोजक, भारत सरकार की ओर से।

2- श्री किशोर सिंह खंगारोत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र की ओर से।

3- श्री रविन्द्र चूण्डावत, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश की ओर से।

4- श्री पीयूष धाभाई, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त श्रवण की ओर से।

4- श्री जटाशंकर तिवारी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त जयराम की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11-05-2026

1. केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, कोटा राजस्थान की ओर से श्री आर.के. चौधरी निरीक्षक/अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश, भूपेन्द्र सिंह, राकेश, श्रवण व जयराम के विरूद्व धारा 8/18(B), 8/25, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत परिवाद व पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. जिस परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादकर्ता शासकीय सेवक होकर निरीक्षक के पद पर कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा में कार्यरत है इस कार्य हेतु भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 7/85 दिनाक 14.11.1985 द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया गया है। दिनांक 23.01.2020 को समय शाम 05.00 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के निरीक्षक श्री आर.के. चौधरी एवं श्री पंकज कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि " मारवाड़ क्षेत्र के प्रेम प्रकाश पुत्र श्री भीयाराम विश्नोइ एवं भूपेन्द्र सिंह पुत्र जब्बर सिह चारण अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त होकर आज दिनांक 23.01.2020 को समय 22.00 से दिनांक 24.01.2020 को समय 06.00 बजे के बीच ट्रक क्रमांक आर.जे.-19-जी.बी.-2942 में बने गुप्त चेम्बर में लगभग 40-50 कि.ग्रा. अवैध अफीम लेकर किशनगढ होते हुए जोधपुर जायेगे यदि किशनगढ टोल

प्लाजा पर रोककर इनकी तलाशी ली जाये तो अवैध अफीम बरामद हो सकती है"। प्राप्त गुप्त सूचना को सीबी.एन-1 में लिपिबद्ध कर तीन प्रतियों में श्री आर.के. चौधरी, निरीक्षक द्वारा श्री छट्टू प्रसाद, अधीक्षक (निवारक), कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी एक प्रति श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा एवं एक प्रति को मुख्यालय ग्वालियर अग्रेषित किया गया। सूचना के क्रियान्वयन हेतु श्री छट्टू प्रसाद, अधीक्षक के नेतृत्व मे एक निवारक दल का गठन किया गया, निवारक दल शासकीय वाहन क्रमांक RJ 20 UA 2309 (महिन्द्रा स्कोपियो) द्वारा गुप्त सूचना पर कार्यवाही करने के लिये समय 18.00 बजे दिनांक 23.01.2020 को कोटा से प्रस्थान कर समय 22.15 बजे जयपुर-किशनगढ़ एन.एच.-8 पर स्थित जी.वी.के. टोल प्लाजा किशनगढ़ जिला अजमेर पहुँचा। जहाँ पर दर्ज गुप्त सूचना के संबंध में निवारक दल के समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया। समय 22:20 बजे श्री पूरण मल मीना, निरीक्षक द्वारा दो व्यक्तियों सर्वश्री निंतिन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह व श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री रामजी लाल गुप्ता 'को तलब कर उनका परिचय निवारक दल के सदस्यों से करवाकर, प्राप्त सूचना से अवगत कराते हुए सूचना की पुष्टि कार्यवाही हेतु मौके पर बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने का आग्रह किया। बाद उनकी सहमति निवारक दल के सभी सदस्य मय पंचान संदिग्ध वाहन का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय लगभग 22:30 बजे सूचना से संबंधित वाहन आर. जे 19 जी. बी. 2942 टोल पर आया जो कि किशनगढ के टोल नाके पर रुका। श्री पूरण मल मीना, निरीक्षक द्वारा वाहन के चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रेम प्रकाश पुत्र श्री भियाराम होना बताया तथा वाहन में दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र श्री जब्बर सिंह होना बताया। सूचना की पुष्टि होते देख श्री पूरण मल मीना द्वारा निवारक दल के सदस्यों की उपस्थिति में सर्वश्री प्रेम प्रकाश एवं भुपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह को प्राप्त गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए बताया कि अवैध अफीम होने की आशंका में उनकी एवं उनके ट्रक की तलाशी लेना है। साथ ही श्री पूरण मल मीना, निरीक्षक द्वारा उनको धारा 50 एन. डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत प्रदत अधिकारों से अवगत कराया एवं इस आशय की लिखित सूचना उन्होने उक्त दोनों व्यक्तियों को

अलग अलग दी जिस पर उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपनी एवं अपने ट्रोले की तलाशी स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने की लिखित सहमति दी।

3. तत्पश्चात कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा का एक अन्य निवारक दल जिसका नेतृत्व श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षक (राजपत्रित अधिकारी) कर रहे थे जो उक्त टोल प्लाजा से लगभग 8 किलोमीटर दूर निवारक कार्य कर रहे थे को श्री सी. प्रसाद अधीक्षक निवारक द्वारा जरिये दूरभाष स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के तौर पर धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के प्रावधानों की पालना हेतु मौके पर बुलाया गया। करीब 10 मिनट बाद श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षक मौके पर उपस्थित हुए जिनकी उपस्थिति में सर्वश्री प्रेम प्रकाश एवं भुपेन्द्र सिह उर्फ जालम सिंह की व्यक्तिगत तलाशी ली गई जिसमें कुछ भी आपत्ति जनक बरामद नही हुआ। ट्रोले की तलाशी में ट्रोले की आगे की साईड में बने गुप्त चेम्बर से 48 थैलियाँ बरामद हुई। प्रत्येक थैली के ऊपर भूरे रंग की टेप लगी हुई थी। प्रत्येक थैली से टेप को हटाकर देखने पर प्लास्टिक की थैलियों के अन्दर हलके भूरे काले रंग का लचीला पदार्थ भरा होना पाया गया, जिसे देखकर एवं सूंघकर उक्त पदार्थ अफीम होना पाया गया जिसकी पुष्टि अफीम के रूप में सर्वश्री प्रेम प्रकाश एवं भुपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह ने भी की। बरामद अफीम की प्रत्येक थैली का वजन थैली सहित एक किलोग्राम होना पाया गया। इस प्रकार कुल बरामद अफीम का वजन 48 किग्रा. होना पाया गया। बरामद अफीम की थैलियों को 1 से लगातार 48 तक चिन्हित कर प्रत्येक थैली से 25-25 ग्राम के दो-दो नमूने वास्ते रसायनिक जाँच निकाल कर पारदर्शी पोलिथिन की थैलियों में रखकर ऑटोप्रेस कर सफेद लिफाफों में रखकर, लिफाफों पर बरामदगी का विवरण लिखकर चिपका कर सीलबन्द किया गया एवं इस प्रकार निकाले गये नमूनों को कमशः मार्क 1-A,1-B से लेकर 48-A, 48-B के मार्क से चिन्हित किया गया। शेष बरामद अफीम को ज्यो का त्यो उन्ही पैकेटों में रखकर अलग-अलग सफेद कपड़ों की थैलियों में रखकर, सीलकर सीलबन्द-चिटबन्द किया तथा पुनः मार्क 1 से लगातार 48 तक अंकित कर धारा 8/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत जप्त कर धारा 60 (1) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत दिनाक 24.01.2020 को सुबह 06.00 बजे कब्जे सरकार लिया गया। उक्त अवैध अफीम के परिवहन में प्रयुक्त वाहन आर.जे. 19 जी.बी.2942 को

धारा 60 (3) एन डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत अलग से पंचनामा बनाकर कब्जे सरकार किया गया। जिस ब्रास सील का उपयोग मुद्दे माल, नमूना, वजह सबूत आदि को सील करने में किया गया उसका नमूना जप्ती पंचनामें प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये पर अंकित किया गया। मौके पर ही उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के स्वेच्छा से दिये गये कथन श्री पूरण मल मीना, निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए जिसमें उन्होने उक्त अवैध अफीम के परिवहन अपराध स्वीकार किया जिस पर उन्हे कारण एवं आधार बताते हुए एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 8/18 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया। जप्ती संबंधित समस्त कार्यवाही श्री पूरण मल मीना, निरीक्षक द्वारा मौके ही निवारक दल के सदस्यों के सहयोग से स्वतंत्र गवाहों के समक्ष पूर्ण की गई आदि....।

4. पंचनामा/जब्ती की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपी भूपेन्द्र सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में तथा आरोपी प्रेम प्रकाश को विभागीय अभिरक्षा में लिया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया व बाद अनुसंधान मुलजिमान भूपेन्द्र सिंह, प्रेमप्रकाश व राकेश के विरुद्ध परिवाद अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/25 व 8/29 एनडीपीएस में इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 31-08-2020 को प्रस्तुत किया, जिस पर इस न्यायालय ने उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

5. दौराने विचारण अभियोजन द्वारा दिनांक 06-06-2022 को मुलजिम श्रवण के विरूद्ध धारा 8/18 व 8/29 एनडीपीएस तथा दिनांक 18-01-2023 को मुलजिम जयराम के विरूद्ध धारा 8/18 व 8/29 एनडीपीएस के तहत पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अभियुक्त श्रवण व जयराम के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. न्यायालय द्वारा आरोप बहस सुनी जाकर दिनांक 25-03-2021 को मुलजिम प्रेमप्रकाश को धारा 8/18(B), 8/29 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट, मुलजिम राकेश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह को धारा 8/18(B), 8/29 एनडीपीएस एक्ट तथा दिनांक 27-07-2022 को अभियुक्त श्रवण को धारा धारा 8/18(B), 8/29 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट व दिनांक 19-04-2023 को अभियुक्त जयराम को धारा 8/18(B), 8/29 एनडीपीएस एक्ट के

आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो मुलजिमान ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

7. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया-

क्र.स.	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1	पीडब्ल्यू-1	शकील अहमद
2	पीडब्ल्यू-2	पूरणमल मीणा
3	पीडब्ल्यू-3	नितिन सिंह चौहान
4	पीडब्ल्यू-4	मुकेश गुप्ता
5	पीडब्ल्यू-5	राजेन्द्र कुमार
6	पीडब्ल्यू-6	डॉ. विट्ठल शेरावत
7	पीडब्ल्यू-7	पंकज कुमार
8	पीडब्ल्यू-8	सी. प्रसाद
9	पीडब्ल्यू-9	आर.के.चौधरी

8. अभियोजन पक्ष द्वारा दौराने विचारण अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया-

क्र.स.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द गिरफतारी अभियुक्त राकेश
2.	प्रदर्श पी-2 व 3	सूचना धारा 50 एनडीपीएस एक्ट
3.	प्रदर्श पी-4	फर्द जप्ती अफीम
4.	प्रदर्श पी-5	पंचनामा नमूना सील
5.	प्रदर्श पी-6	पंचनामा जब्ती वाहन
6.	प्रदर्श पी-7	पंचनामा नक्शा मौका
7.	प्रदर्श पी-8	बयान अभियुक्त प्रेमप्रकाश
8.	प्रदर्श पी-9	फर्द गिरफतारी मुलजिम प्रेमप्रकाश
9.	प्रदर्श पी-10	बयान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह
10.	प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफतारी मुलजिम भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह

11.	प्रदर्श पी-12	प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट
12.	प्रदर्श पी-13	टेस्ट मीमो
13.	प्रदर्श पी-14	अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्ती अधिकारी श्री पूरणमल मीणा के लिए गए बयान
14.	प्रदर्श पी-15	पीले कलर का लिफाफा (वाहन के दस्तावेजो सहित)
15.	प्रदर्श पी-16	वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
16.	प्रदर्श पी-17	वाहन की बीमा पॉलिसी
17.	प्रदर्श पी-18	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
18.	प्रदर्श पी-19	सर्टिफिकेट फिटनेस
19.	प्रदर्श पी-20	आथोराइजेशन सर्टिफिकेट
20.	प्रदर्श पी-21	नेशनल परमिट
21.	प्रदर्श पी-22	एक सफेद कलर का लिफाफा
22.	प्रदर्श पी-23 लगायत 70	सफेद लिफाफे जिनमे प्रत्येक थैली में काला-भूरा पदार्थ भरा हुआ था
23.	प्रदर्श पी-71	स्टेशन रजिस्टर
24.	प्रदर्श पी-72	शासकीय वहान की लॉगबुक
25.	प्रदर्श पी-73	मालखाना रजिस्टर
26.	प्रदर्श पी-74	सेम्पल रजिस्टर
27.	प्रदर्श पी-75	नितिन सिंह के बयान
28.	प्रदर्श पी-76	मुकेश गुप्ता के बयान
29.	प्रदर्श पी-77	मालखाना रजिस्टर
30.	प्रदर्श पी-78	एफएसएल रिपोर्ट
31.	प्रदर्श पी-79	गुप्त सूचना प्रपत्र
32.	प्रदर्श पी-80	पंकज कुमार के बयान
33.	प्रदर्श पी-81	अभिस्वीकृति पत्र
34.	प्रदर्श पी-82	महाप्रबंधक जीओएडब्ल्यू नीमच को लिखा गया पत्र
35.	प्रदर्श पी-83	आर.के. चौधरी द्वारा भूपेन्द्र सिंह के दर्ज किये गये कथन
36.	प्रदर्श पी-84 व 85	प्रेमप्रकाश के दर्ज किये गये कथन

37.	प्रदर्श पी-86	सैंपल रजिस्टर की प्रति
38.	प्रदर्श पी-87	राकेश को दिया गया धारा 67 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस
39.	प्रदर्श पी-88	नोटिस देने के संबंध में बनाये गये पंचनामा
40.	प्रदर्श पी-89	राकेश के धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किये गये कथन
41.	प्रदर्श पी-90	राकेश कुमार के बयान
42.	प्रदर्श पी-91	सूचना अंतर्गत धारा 57 एनडीपीएस
43.	प्रदर्श पी-92	क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी जोधपुर को जारी पत्र
44.	प्रदर्श पी-93	क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी सूचना
45.	प्रदर्श पी-94	पीएस बिलाडा जोधपुर ग्रामीण को प्रेमप्रकाश के पूर्व आपराधिक रिकोर्ड बाबत लिखा पत्र व प्राप्त सूचना
46.	प्रदर्श पी-95	अफीम की धारा 52ए की कार्यवाही हेतु आवेदन
47.	प्रदर्श पी-96	धारा 52ए के तहत दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
48.	प्रदर्श पी-97	अग्रेषण पत्र मय इन्वेन्ट्री रिपोर्ट
49.	प्रदर्श पी-98 लगायत 450	धारा 52ए की कार्यवाही के दौरान लिए गए फोटोग्राफस
50.	प्रदर्श पी-451	कैफ आईडी एवं सीडीआर प्राप्ति हेतु जीओ कंपनी को लिखा पत्र
51.	प्रदर्श पी-452	नोडल अधिकारी रिलायंस जिओ द्वारा जारी धारा 65 बी प्रमाण पत्र
52.	प्रदर्श पी-453	सीडीआर की सीडी
53.	प्रदर्श पी-452 (जो सहवन से दो बार प्रदर्शित हो गया)	सीडीआर व केफ आईडी के लिए लिखा पत्र
54.	प्रदर्श पी-453 (जो सहवन से दो बार प्रदर्शित हो गया)	सीडीआर की सीडी
55.	प्रदर्श पी-454	सीडीआर व केफ आईडी के लिए लिखा पत्र
56.	प्रदर्श पी-455	सीडीआर की सीडी

57.	प्रदर्श पी-456	अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह सीकर को लिखा पत्र
58.	प्रदर्श पी-457	कारापाल सीकर से प्राप्त ई-मेल
59.	प्रदर्श पी-458	श्रवण को प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त करने हेतु आवेदन
60.	प्रदर्श पी-459	प्रोडक्शन वारंट का आदेश
61.	प्रदर्श पी-460	सीकर जेल से श्रवण को प्राप्त करने बाबत तहरीर
62.	प्रदर्श पी-461	श्रवण के स्वेच्छिक कथन अंतर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट
63.	प्रदर्श पी-462	श्रवण की फर्द गिरफ्तारी
64.	प्रदर्श पी-462 (जो सहवन से दो बार प्रदर्शित हो गया)	प्रतिवेदन धारा 57 एनडीपीएस एक्ट
65.	प्रदर्श पी-463	श्रवण की गिरफतारी की सूचना
66.	प्रदर्श पी-464	श्रवण के विरूद्ध दर्ज मुकदमा संख्या 1027/21 की सत्यप्रतिलिपि
67.	प्रदर्श पी-465	उपअधीक्षक कारागृह कोटपूतली को लिखा गया पत्र
68.	प्रदर्श पी-466	कारापाल कोटपूतली से प्राप्त ई-मेल
69.	प्रदर्श पी-467	प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करने हेतु लगाया गया आवेदन पत्र
70.	प्रदर्श पी-468	न्यायालय द्वारा जयराम हेतु जारी प्रोडक्शन वारंट
71.	प्रदर्श पी-469	जयराम को जेल से प्राप्त करने बाबत तहरीर
72.	प्रदर्श पी-470	जयराम के धारा 67 एनडीपीएस के तहत किए गए कथन
73.	प्रदर्श पी-471	जयराम की गिरफतारी व जामा तलाशी
74.	प्रदर्श पी-472	जयराम की गिरफतारी के संबंध में धारा 57 एनडीपीएस एक्ट के तहत दी गई सूचना
75.	प्रदर्श पी-473	जयराम के धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत किए गए कथन
76.	प्रदर्श पी-474 व 475	पुलिस थाना डांगियावास जोधपुर को आरोपी जयराम के आपराधिक रिकोर्ड बाबत लिखा गया पत्र व प्राप्त सूचना
77.	प्रदर्श पी-476	जयराम के बैंक खाते की जानकारी के लिए एसबीआई हाईकोर्ट शाखा जोधपुर को लिखा गया पत्र

78.	प्रदर्श पी-477	बैंक द्वारा जारी स्टेटमेंट
79.	प्रदर्श पी-478	औषधी व्ययन समिति की निरीक्षण की छायाप्रति
80.	प्रदर्श पी-479	अफीम को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच में जमा करवाने की रसीद की छायाप्रति

दौराने साक्ष्य अभियोजन द्वारा निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाये गये-

क्र.स.	आर्टिकल संख्या	विवरण
1.	आर्टिकल 1	वाहन की दो चाबिंया
2.	आर्टिकल 2 लगायत 49	सफेद कपडे की थैली के पैकेट

9. अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात् मुल्जिमान का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जाप्ता फौजदारी में किया गया जिसमें उन्होने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया। मुलजिम जयराम ने कथन किया कि उसका तथाकथित पदार्थ व संदिग्धियों से कोई संबंध नहीं है। सीबीएन द्वारा मारपीट कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये है तथा इन दस्तावेजों पर इबारत बाद में लिखी गई है। मुलजिमान द्वारा साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा, परंतु मुलजिमान की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की जाकर बहस अंतिम सुनी गई।

10. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया है कि अभियोजन ने मौके के सभी गवाहान को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। बरामदशुदा पदार्थ का अवैध मादक पदार्थ होना उसकी एफ.एस.एल रिपोर्ट से साबित है। अभियोजन ने अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध अफीम जब्त होने के संबंध में जब्ती अधिकारी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहान को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मुलजिमान को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष केवल मात्र दस पैकेट अफीम ही प्रस्तुत कर प्रमाणित करवायी गयी है। संपूर्ण माल की इन्वेंट्री मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष नहीं करवाई गई है। इस तरह अनुसंधान अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 52 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-78 कथित रूप से अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुई अफीम से निकाले गये सैंपलों के संबंधों में हो, यह साबित नहीं है। जब्ती अधिकारी द्वारा 25-25 ग्राम के सैंपल निकाले जाना बताया गया है, जबकि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार कोई भी सैंपल 25 ग्राम का नहीं है, अपितु 29 ग्राम से 36 ग्राम का है। इस तरह यह साबित नहीं है कि जो सैंपल मौके से निकाले गये, वही सैंपल एफएसएल जांच हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गये। हस्तगत प्रकरण में इन्वेंट्री की कार्यवाही भी छः माह की देरी से करवाई गई है, जिसका भी कोई कारण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-77 पर सील की कोई छाप लगी हुई नहीं है। हस्तगत प्रकरण में स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी नहीं ली गई है। इस तरह धारा 50 अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। जिस सील से माल व सैंपल को सील्ड मोहर किया गया, उस सील को मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह को सुपुर्द नहीं किया गया, ना ही उसे नष्ट किया गया, ना ही उसकी छाप भी मालखाना रजिस्टर में लगाई गई। हस्तगत प्रकरण में टोल प्लाजा किशनगढ़ के सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, ना ही जब्ती दल के किसी सदस्य ने घटना की कोई विडियोग्राफी या फोटोग्राफी की है। इससे भी अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। हस्तगत प्रकरण के स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने जब्ती अधिकारी व जब्ती दल के अन्य सदस्यों के मोबाईल की कोल डिटेल्स व लोकेशन प्रस्तुत नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में नमूना सेंपल का सीलबंद अवस्था में एफएसएल में जमा होना साबित नहीं है। धारा 67 अधिनियम के बयानों को सहअभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत नहीं करवाया गया है। गवाहान के बयानों

में भारी विरोधाभास है। धारा 42(2), 55, 57 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। धारा 36 से 54 की उपधारणा करने के आधार हस्तगत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जब्तशुदा नमूना को 72 घंटे के अंदर एफएसएल में जमा नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

12. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण श्रवण, राकेश व जयराम ने अपनी-अपनी बहस में यह निवेदन किया कि धारा 67 अधिनियम के तहत लेखबद्ध बयानों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मुलजिम श्रवण द्वारा सह अभियुक्त प्रेम प्रकाश व भूपेन्द्र को जब्तशुदा माल सुपुर्द किए जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। सह अभियुक्त राकेश श्रवण व जयराम के कब्जे से किसी अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। मुलजिम जयराम द्वारा जो पैसा अंतरित करना बताया गया है, वह सह अभियुक्त के खातों में अंतरित किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्तगण के आपस में मोबाईल पर बातचीत करने का जो रिकोर्ड प्रस्तुत किया गया है, उससे भी यह साबित नहीं है कि मुलजिमान द्वारा आपस में मोबाइल फोन पर बातचीत कर आपराधिक षडयंत्र किया गया हो। जो गोपनीय सूचना परिवादी विभाग को प्राप्त हुई, उसमें भी मुलजिमान का नाम अंकित नहीं है। धारा 67 अधिनियम के तहत बयान प्रश्न-उत्तर के रूप में लेखबद्ध नहीं किए गए है एवं बयानों के समय मुलजिमान परिवादी विभाग के अधिकारियों की अभिरक्षा में थे। अतः अभियुक्तगण श्रवण, राकेश व जयराम को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए-

1- S.B. Criminal Revision NO. 1326/2021 Ajay Bairwa vs State of Raj. Decide on 10-03-2022 (RHC)

2- Saiket Bhattacharyya vs Union of India 2024: KHC : 36218

3- 2018(3) CCSC 1404 (SC) सुरिन्द्र कुमार खन्ना बनाम आसूचना अधिकारी राजस्व आसूचना निदेशालय

4- 2020(1) CCSC 257(SC) मोहम्मद फसरीन बनाम राज्य जरिये इन्टेलीजियन्स अधिकारी

5- AIR 2011(SC)2490 रामसिंह बनाम सैंट्रल ब्यूरो आफ नारकोटिक्स

6- 2013(Suppl) CRLR (SC) 767 राधेश्याम बनाम भारत संघ

7- 2017(4) CRLR (Raj) 1955 शम्भुलाल बैरवा बनाम भारत संघ जरिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

8- 2010(4) CCSC 1928 (SC) भारत संघ बनाम बालमुकुन्द व अन्य

9- AIR 2008 (SC) 1044 कन्हैयालाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया

10- 2017(1) CRLR (Raj)451 धर्मेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

11- (2015) 1 JCC11 एन.सी.बी बनाम अन्जु तिवारी

12- 2025 AIR (SC) 225 करण तलवार बनाम स्टेट आफ तमिलनाडू

13- 2013 (121) AIC 194 (SC) राधेश्याम बनाम युनियन आफ इण्डिया

14- 1999(1) RCC 361 प्रदीप कुमार जैन बनाम स्टेट आफ राजस्थान

15- क्रिमीनल अपील संख्या 408/2020 जितेन्द्र बनाम स्टेट आफ मध्यप्रदेश व अन्य सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांकित 18-03-2020

16- AIR 2009(SC) Supp 852 नुर आगा बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य

17- 2017 (4) CCSC 1788 (SC) नरेश उर्फ नितू बनाम स्टेट आफ हिमाचल

18- 2018 (2) CCSC 601 (SC) भारत संघ बनाम लीन मार्टिन एवं अन्य

19- 2017 (4) CCSC 2212 (SC) खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

20- 2011 (SC) CANDID 1073 पाचो बनाम स्टेट आफ हरियाणा

21- 2016 (4) CCSC 1792 (SC) हरवीर सिंह बनाम शीशपाल व अन्य

13. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या दिनांक 24-01-2020 को समय 08.00 बजे किशनगढ़ टोल प्लाजा नेशनल हाईवे संख्या 8 पर अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश के स्वामित्व व मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के संयुक्त कब्जे के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 में फिफिट प्लेट के स्थान पर बने गुप्त चैम्बर में एक-एक किलो की कुल 48 अवैध अफीम की थैलिया, जिनका कुल वजन 48 किलोग्राम है, बरामद की गई? जिसको अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने का अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र या परमिट नहीं था।

2. क्या अभियुक्त प्रेमप्रकाश उक्त वाहन ट्रक संख्या आरजे 19 जीए 2942 का स्वामी/अभियोगी होते हुए उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर जानबूझकर उक्त वाहन ट्रक को अवैध अफीम के परिवहन करने के उपयोग में लिया?

3. क्या अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह ने सह अभियुक्तगण राकेश, जयराम व श्रवण के साथ मिलकर दुष्प्रेरण करते हुए बरामदशुदा अवैध अफीम के परिवहन/सप्लाई करने का आपराधिक षडयंत्र किया?

4. यह कि अभियुक्तगण राकेश, जयराम व श्रवण ने सहअभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के साथ मिलकर दुष्प्रेरण करते हुए बरामदशुदा अवैध अफीम के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 में परिवहन/सप्लाई का आपराधिक षडयंत्र किया?

2. यदि हां तो दण्ड की मात्रा क्या होगी ?

14. इस संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को

संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था। अभियोजन पक्ष द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण के जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-1 पूरणमल मीणा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 23.01.2020 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा में समय 17.00 बजे मुखबिर द्वारा एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मारवाड़ क्षेत्र के श्री प्रेमप्रकाश पुत्र भियाराम बिश्नोई एवं श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र जब्र सिंह अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त होकर आज दिनांक 23.01.2020 को समय करीब 22.00 बजे से दिनांक 24.01.2020 को सुबह 6.00 बजे के बीच ट्रक क्रमांक आरजे19 जीबी2942 में बने गुप्त चेम्बर में लगभग 40-50 किलो अवैध अफीम लेकर किशनगढ़ होते हुए जोधपुर को जायेंगे। यदि उन्हें किशनगढ़ टोल प्लाजा पर रोककर तलाशी ली जाये तो अवैध अफीम बरामद हो सकती है।'' कार्यालय में प्राप्त गुप्त सूचना को श्री आर.के चौधरी एवं श्री पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सीबीएन-1 में रिकॉर्ड कर श्री सी. प्रसाद अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर तुरंत कार्यवाही करने हेतु श्रीमान् अधीक्षक श्री सी. प्रसाद द्वारा मुझको निर्देशित किया गया। प्राप्त गुप्त सूचना के क्रियान्वयन हेतु श्री सी. प्रसाद अधीक्षक के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में एक निवारक दल का गठन किया गया। निवारक दल में श्री सी. प्रसाद अधीक्षक एवं मेरे अतिरिक्त निरीक्षकगण श्री आर.के चौधरी, श्री पंकज कुमार एवं वाहन चालक श्री मुकेश राठौड़ मौजूद थे। निवारक दल सूचना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 23.01.2020 को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा आरजे19 जीबी2942 से समय करीब 18.00 बजे प्रस्थान कर किशनगढ़ जयपुर रोड एनएच-8 पर स्थित जीवीके टोल प्लाजा ग्राम बड़गांव थाना कोतवाली किशनगढ़ जिला अजमेर समय करीब 22.15 बजे पहुंचकर तैनात हुआ। जहां पर श्री आर.के चौधरी निरीक्षक द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना से निवारक दल के सभी सदस्यों को अवगत कराया। समय करीब 22.20 बजे मेरे द्वारा दो व्यक्तियों श्री नितिन सिंह पुत्र गोपालसिंह चौहान एवं श्री मुकेश गुप्ता पुत्र स्व. रामजीलाल गुप्ता को तलब कर बुलाने के मकसद से अवगत कराते हुए निवारक दल के सभी सदस्यों से परिचय करवाया एवं नारकोटिक्स विभाग को प्राप्त गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए सूचना के क्रियान्वयन हेतु मौके पर बतौर साक्षी उपस्थित रहने का आग्रह

किया गया। उनकी मौखिक सहमति उपरान्त सूचना से संबंधित वाहन आरजे19 जीबी2942 का मय निवारक दल इंतजार करने लगे। समय करीब 2230 बजे सूचना से संबंधित वाहन आरजे19 जीबी2942 उक्त जीवीके टोल प्लाजा पर आकर रूका। पंचान एवं निवारक दल की उपस्थिति में मेरे द्वारा वाहन चालक से पूछताछ किये जाने पर उसने अपना नाम प्रेमप्रकाश पुत्र भियाराम जाति बिश्नोई, उम्र 39 वर्ष निवासी कैरियों की ढ़ाणी, रामनगर, तहसील व थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं वाहन में दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र जब्बरसिंह जाति चारण उम्र 36 वर्ष निवासी चारणों का बास, सुरायता, थाना शिवपुरा, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली होना बताया। सूचना की पुष्टि होते हुए देख मेरे द्वारा पंचान एवं निवारक दल की उपस्थिति में श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री भूपेन्द सिंह उर्फ जालम सिंह को नारकोटिक्स विभाग को प्राप्त गुप्त सूचना से अवगत कराते हुए बताया कि अवैध अफीम होने की शंका में आप दोनों की व्यक्तिगत एवं आपके वाहन आरजे19 जीबी2942 की तलाशी लेनी है। मेरे द्वारा श्री प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह को बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50 के तहत आपको यह अधिकार प्रदत्त किये गये हैं कि आप चाहे तो अपनी-अपनी व्यक्तिगत एवं अपने वाहन की तलाशी किसी नजदीकी माननीय मजिस्ट्रेट महोदय या स्वतंत्र सक्षम राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में दे सकते हैं। इस संबंध में कृपया जिस प्रकार तलाशी देना चाहे उससे अवगत कराये। मेरे द्वारा उक्त प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह को यह भी बताया गया कि माननीय मजिस्ट्रेट महोदय या स्वतंत्र सक्षम राजपत्रित अधिकारी यदि तलाशी का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं मानते हैं तो वे आप दोनों को एवं आपके वाहन को तलाशी से उन्मोचित भी कर सकते हैं। इस आशय की मेरे द्वारा उक्त दोनों को अलग-अलग लिखित नोटिस दिया गया। सूचना की मूल कॉपी प्राप्त होने के बाद वाहन चालक प्रेमप्रकाश ने बताया कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूं केवल मैं अपने हस्ताक्षर कर सकता हूं मेरे कहे अनुसार मेरी सहमति भूपेन्द्र सिंह लिखकर देगा कि मैं अपनी व्यक्तिगत एवं मेरे वाहन की तलाशी स्वतंत्र सक्षम राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में देना चाहता हूं। श्री भूपेन्द्र सिंह ने भी अपने हाथ से यह लिखकर दिया कि मैं अपनी व्यक्तिगत तलाशी स्वतंत्र सक्षम राजपत्रित अधिकारी की

उपस्थिति में देना चाहता हूं। उक्त दोनों की सहमति मिलने के बाद निवारक प्रभारी श्री सी.प्रसाद अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक से धारा 50 की पालना हेतु सम्पर्क किया गया। जो कि घटना स्थल से लगभग 8 किलोमीटर दूर अन्य टोल नाके पर खड़े थे। करीब 10 मिनट पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक घटनास्थल पर समय लगभग 11.00 बजे आये। उनकी उपस्थिति में श्री प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि वे अपनी व्यक्तिगत एवं अपने वाहन की तलाशी स्वतंत्र सक्षम राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में देना चाहते हैं। उनकी बाद सहमति श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक के निर्देशानुसार मैंने मेरी व्यक्तिगत जमा तलाशी पंचान की उपस्थिति में श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री भूपेन्द्र सिंह को दी जिसमें कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक के निर्देशानुसार मेरे द्वारा तलाशी कार्य पंचान की उपस्थिति आरम्भ किया गया जिसमें श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह की व्यक्तिगत तलाशी में कोई अवैध मादक पदार्थ नहीं हुआ। दौराने तलाशी ट्रक क्रमांक आरजे19 जीबी2942 की तलाशी करने पर ट्रक में आगे की साइड में बने गुप्त चेम्बर से 48 थेलियां बरामद हुई। प्रत्येक थेली के उपर भूरे रंग का टेप लगा हुआ था। प्रत्येक थेली से टेप को हटाकर देखा गया तो प्लास्टिक की थेलियों के अंदर हल्के भूरे-काले रंग का लचीला पदार्थ पाया गया, जिसे देख व सूंघकर अफीम होना पाया गया जिसकी पुष्टि श्री प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह ने अफीम होने के रूप में की। बरामद अफीम की प्रत्येक थेली का वजन निवारक दल के साथ लाये गये तराजू बांटों से निवारक दल सदस्य श्री पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा किया गया। तोलने पर प्रत्येक थेली की अफीम का वजन थेली सहित 1 किलो होना पाया गया। इस प्रकार बरामद कुल अफीम का वजन 48 किलोग्राम होना पाया गया। बरामद अफीम की थैलियों को मार्क 1 से 48 तक चिन्हित किया गया। बरामद अफीम की प्रत्येक थैली से वास्ते रासायनिक जांच 25-25 ग्राम के 2-2 नमूना सेम्पल निकालकर पारदर्शी पॉलिथीन की थैली में रखकर तथा थैली को आटोप्रेस कर सफेद लिफाफे में रखकर, लिफाफों पर बरामदगी का विवरण लिखकर व चिपकाकर सील बन्द किया गया। बरामद 48 अफीम की थैलियों से निकाले गये नमूनों को 1-ए, 1-बी से लेकर 48ए व 48बी के मार्क से चिन्हित किया गया। बकाया बरामद

अफीम की 48 थैलियों को पूर्व स्थिति अनुसार अलग-अलग सफेद कपड़े की थैलियों में रखकर, सिलकर, सील बन्द कर, बरामदगी का विवरण लिखा गया एवं पुनः मार्क 1 से 48 तक चिन्हित किया गया। अवैध अफीम के परिवहन के संबंध में श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री भूपेन्द्र सिंह से कोई वैध दस्तावेज मांगे जाने पर प्राप्त नहीं होने से बरामद अफीम अवैध होने के कारण एनडीपीएस एक्ट-1985 की धारा 8/18 बी का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 60 (3) के तहत जप्त कर मेरे द्वारा दिनांक 24.01.2020 को 6.00 बजे कब्जे सरकार लिया गया। अवैध अफीम के परिवहन में प्रयुक्त वाहन आरजे19 जीबी2942 को वजह सबूत अलग से पंचनामा बनाकर अधिनियम की धारा 60(3) के अनुसार कब्जे सरकार लिया गया। बरामद अफीम की प्रत्येक थैली से निकाले गये नमूनों एवं बकाया बरामद अफीम की प्रत्येक थैली को सील बन्द करने हेतु जिस ब्रास सील का प्रयोग किया गया था उसका नमूना जप्ती पंचनामे के प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये पर अंकित किया गया। जप्ती पंचनामा समाप्ती के समय दिनांक 24.01.2020 को समय 7.00 बजे रहा। जप्ती से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज मौके पर ही पंचान की उपस्थिति में निवारक दल के सदस्यों के सहयोग से तैयार किये गये। जिसे पढ़ सुन व समझ कर सभी संबंधितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मौके पर ही मेरे द्वारा श्री प्रेमप्रकाश एवं श्री भूपेन्दसिंह के बयान दर्ज किये गये, जिसमें श्री प्रेमप्रकाश बिश्नोई ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अफीम के अवैध धंधे में लिप्त हो गये, आपके द्वारा बरामद की गयी अफीम जोधपुर निवासी राकेश की है जिसे वह गुवाहाटी से लेकर आ रहा था। अफीम लाने के एवज में राकेश मुझे 2000 रूपये प्रति किलो अफीम के हिसाब से रूपये देता। श्री भूपेन्द्र सिंह ने अपने बयानों में बताया कि वह अफीम खाता है। दिनांक 20.01.2020 को गुवाहाटी में 48 अफीम की थैलियों को मेरे द्वारा प्रेमप्रकाश के साथ वाहन आरजे19 जीबी2942 मे बने गुप्त चेम्बर में लोड किया गया था। जिसके आधार पर श्री प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह को मेरे द्वारा मौके पर ही कारण एवं आधार बताकर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् अवैध अफीम के बरामदगी की सम्पूर्ण रिपोर्ट का प्रतिवेदन एनडीपीएस एक्ट-1985 की धारा 57 की पालना में मेरे द्वारा श्री सी.प्रसाद अधीक्षक को दिनांक 24.01.2020 समय 15.00 बजे प्रस्तुत किया गया

जिसका अवलोकन करने के पश्चात श्री सी.प्रसाद अधीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2020 सीबीएन पंजीबद्ध कर श्री आर.के चौधरी निरीक्षक को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया एवं जप्ती अधिकारी मुझसे मुद्दे माल प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज मय मुल्जिमान प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। बाद कार्यवाही मैं निवारक दल सहित दिनांक 24.01.2020 कोटा वापस आ गया। सूचना धारा 50 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी अभियुक्तगण द्वारा दी गयी सहमति का इंद्राज है। ई से एफ व जी से एच अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। आई से जे गवाह नितिन व के से एल गवाह मुकेश के हस्ताक्षर हैं। एम से एन श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक जी के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त भूपेन्द्र को दिया गया धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी3 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। सी से डी अभियुक्त भूपेन्द्र द्वारा दी गयी सहमति का इंद्राज है। ई से एफ अभियुक्त भूपेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच व आई से जे गवाह के हस्ताक्षर हैं। के से एल श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक जी के हस्ताक्षर हैं। जप्ती पंचनामा अवैध अफीम प्रदर्श पी4 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के तथा ई से एफ अभियुक्त भूपेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच व आई से जे गवाहान के हस्ताक्षर हैं। के से एल राजेन्द्र जी के तथा एम से एन श्री सी. प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पंचनामा नमूना सील प्रदर्श पी5 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के तथा ई से एफ अभियुक्त भूपेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच व आई से जे गवाहान के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पंचनामा जप्ती वाहन प्रदर्श पी6 है। जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के तथा ई से एफ अभियुक्त भूपेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच व आई से जे गवाहान के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। पंचनामा नक्शा मौका प्रदर्श पी7 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के तथा ई से एफ अभियुक्त भूपेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। जी से एच व आई से जे गवाहान के हस्ताक्षर हैं। बयान अभियुक्त प्रेमप्रकाश प्रदर्श पी8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचनामा अभियुक्त

प्रेमप्रकाश गिरफ्तारी प्रदर्श पी9 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी अभियुक्त प्रेमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं, ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। बयान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह प्रदर्श पी10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है तथा सी से डी अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। फर्द पंचनामा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह गिरफ्तारी प्रदर्श पी11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा सी से डी अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं, ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट 1985 का प्रतिवेदन प्रदर्श पी12 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। उसी पर ही सी से डी श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा प्रकरण संख्या 01/2020 पंजीबद्ध करने का इंद्राज एवं मुद्देमाल मय मुल्जिमान जप्तीवाहन के संबंध में श्री आर.के चौधरी को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने आदि आदेश है। प्रदर्श पी12 पर ई से एफ श्री सी. प्रसाद के हस्ताक्षर हैं व जी से एच आर.के चौधरी निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। टेस्ट मीमो प्रदर्श पी13 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित हैं। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्ती अधिकारी के लिये गये बयान प्रदर्श पी14 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। दिनांक 14.06.2020 को श्री आर.के चौधरी अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 67 के तहत राकेश कुमार के लिये गये बयान के बाद उन्हें गिरफ्तार किये गये गिरफ्तारी पंचनामे प्रदर्श पी1 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी15 एक पीले कलर का लिफाफा है जिस पर ए से बी जप्त वाहन के दस्तावेज का इंद्राज व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 15 को खोला गया जिसमें से वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र निकला जो प्रदर्श पी16, वाहन की बीमा पॉलिसी प्रदर्श पी17, प्रदूषण-नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी18, सर्टिफिकेट फिटनेस प्रदर्श पी19, ओथोराइजेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श पी20, नेशनल परमिट प्रदर्श पी21 है। प्रदर्श पी22 एक सफेद कलर का लिफाफा है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे खोलने पर वाहन की दो चाबियां निकली जो एक लोहे के छल्ले में लगी हुई थी जो आर्टिकल 1 है। 48 सफेद लिफाफे जो प्रदर्श पी23 लगायत पी70 है जिन पर प्रत्येक पर ए से बी माल का इंद्राज तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ और जी से एच मुल्जिमान के हस्ताक्षर हैं तथा आई से जे व के से एल गवाहान के हस्ताक्षर हैं। तथा

जिनको खोलने पर प्रत्येक में एक प्लास्टिक की थैली में काला-भूरा रंग का पदार्थ भरा हुआ था जिनमें प्रत्येक थैली पर अलग-अलग मार्क का 1बी लगायत 48बी अंकित था जो नमूना सेम्पल के रूप में है। एक स्टेशन रजिस्टर जिसका पेज नं. 86 पर दिनांक 23.01.2020 समय 18.00 बजे मेरा व निवारक दल का गठन का अंकन है जो प्रदर्श पी71 है जिस पर ए से बी भाग में इंद्राज है तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। शासकीय वाहन की लॉगबुक की पेज संख्या 2 पर प्रदर्श पी72 पर ए से बी भाग में वाहन का इंद्राज है तथा सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की क्रम संख्या 1 प्रदर्श पी73 के ए से बी भाग में माल जमा करने का इंद्राज है जिस पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। सेम्पल रजिस्टर की क्रम संख्या 1 पर प्रदर्श पी74 पर ए से बी भाग में कंट्रोल सेम्पल जमा करने का इंद्राज है।

15. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुझे सबसे पहले मादक पदार्थ के परिवहन की सूचना की क्रियान्वयन की कार्यवाही में जाने की सूचना श्री सी.प्रसाद अधीक्षक द्वारा मिली थी। दिनांक 23.01.2020 को निवारक दल की कार्यवाही में मेरे अतिरिक्त श्री सी.प्रसाद अधीक्षक निरीक्षकगण श्री आर.के चौधरी, श्री पंकज कुमार, श्री मुकेश राठोड़, वाहन चालक मौजूद थे। इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी आर.के चौधरी निरीक्षक थे। यह कहना सही है कि सी.बी.एन-1 के मुताबिक मुखबीर से मादक पदार्थ के परिवहन की सूचना श्री आर.के चौधरी व श्री पंकज कुमार को मिली थी। यह कहना सही है कि ट्रक संख्या आर. जे 19 जी.बी 2942 में जो मादक पदार्थ मिला है वो अभियुक्त राकेश के आधिपत्य से नहीं मिला है। राकेश का जिस स्थान पर निवास है उसकी जानकारी मुझे आरोपी प्रेमप्रकाश द्वारा उनके द्वारा दिये गये स्वेच्छात्मक बयान में दर्ज करवायी गयी थी। यह कहना सही है कि मेरे सामने राकेश को जोधपुर से गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही उसके बयान जोधपुर में लेखबद्ध किये गये। यह कहना सही है कि ट्रक संख्या आर.जे 19 जी.बी 2942, अभियुक्त प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह की व्यक्तिगत तलाशी में ऐसी कोई पर्ची, कागज, बिल, दस्तावेज या अन्य कोई चीज नहीं मिली जिससे ये कहा जा सके कि उक्त मादक पदार्थ राकेश के द्वारा मंगवाया गया हो या राकेश का हो, नहीं मिला। यह कहना सही है कि

पंचनामे के मुताबिक गवाह कानाराम व प्रदीप दोनों ही व्यक्ति प्रदर्श पी-1 में गवाह नहीं है। प्रदर्श पी-1 में दोनों ही गवाहान सी.बी.एन के कर्मचारी है।

16. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त जयराम व श्रवण की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि वाहन संख्या ट्रक संख्या आर.जे 19 जी.बी 2942 में जो मादक पदार्थ मिला है वो जयराम व श्रवण के कब्जे से नहीं मिला है।

17. इसी प्रकार इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मुझे यह जानकारी नही है कि मुखबिर की सूचना जरिये टेलिफोन आई या मुखबिर स्वयं उपस्थित आया था। अजखुद कहा कि इसकी जानकारी श्री आर के चौधरी व पंकज कुमार को होगी। उक्त सूचना मेरे सामने नही आई थी। मुझे श्री सी प्रसाद अधीक्षक ने अवगत कराया था। मुझे इस इतला से अवगत कराते समय मुखबिर की इतला को लिखित में सीबीएन 01 में दर्ज कर रखा था। उक्त सीबीएन 01 फॉर्म जिस पर मुखबिर की इतला लिखी थी, पर मेरे हस्ताक्षर नही कराये गये थे। उस वक्त श्री आर के चौधरी व पंकज कुमार भी कार्यालय में उपस्थित थे। यह कहना सही है कि उक्त मुखबिर की सूचना मेरे सामने दर्ज नही की गई थी। उक्त वाहन मे मै, श्री सी प्रसाद अधीक्षक, श्री आर के चौधरी, श्री पंकज कुमार निरीक्षकगण, व वाहन चालक श्री मुकेश राठौड थे। यह कहना सही है कि वाबजूद इसके इस घटना की कार्यवाही की एक भी फोटो व विडियो नही बनाई गई। दो स्वतंत्र गवाह एक नितिन सिंह व दुसरा मुकेश गुप्ता, उक्त दोनो को हमारे जाप्ते मे से कोई बुलाकर नही लाया था। उक्त दोनो मौके पर ही उपस्थित थे। यह कहना सही है कि मोके पर कार्यवाही के दौरान मालखाना रजिस्टर, रोजनामचा रजिस्टर, मौके पर नही मंगाया गया था। मौके पर उन पर कोई नमूना सील की छाप नही लगाई थी। उक्त सील को काम में लेने के बाद नष्ट कर दिया गया था। हमारे कार्यालय में पहूंचने के बाद मालखाना रजिस्टर में मौके पर माल व सैंपल को जिस सील से सील्ड मोहर किया था उसकी छाप मालखाना रजिस्टर में लगाई गई थी। मोके पर लिये गये सैंपल को सी प्रसाद अधीक्षक ने एफएसएल के लिये भेजे थे। प्रदर्श पी 07

नक्शामौका मेरे द्वारा ही बनाया गया था। नक्शामोका प्रदर्श पी 07 में एक्स स्थान पर जहां ट्रक को पहली बार रोका वह स्थान दर्शाया गया है। अजखुद कहा कि पहली बार ट्रक को टोल पर रोका उस जगह का कोई भी इन्डीगेशन नक्शामौका पर नही दर्शाया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 नक्शामौका की पुश्त पर हालात मौका अलग से अंकित नही किया गया है। प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के मोके पर बयान लेने से पूर्व धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई नोटिस नही दिया गया था। प्रदर्श पी 08 प्रेमप्रकाश के बयान मेरे स्वयं की लिपि मे है जो कि मुलजिम प्रेमप्रकाश को गिरफतार करने से पूर्व लिये गये थे। पत्रावली पर उस सील जिससे नमूना व माल को सील्ड मोहर किया गया था, उस सील को काम में लेने के बाद मे मै नष्ट करना बता रहा हूं, इस बाबत पत्रावली में कोई भी फर्द नष्टीकरण सील नही लगी हुई है। मेरे द्वारा जब्ती की कार्यवाही के बाद दिनांक 24.01.2020 को श्री आर के चौधरी को जीबीके टोल प्लाजा पर ही उक्त माल व सैंपल को सुपूर्द कर दिया था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उक्त माल व सैंपल को जब्त करने के बाद धारा 55 एनडीपीएस एक्ट की फर्द के साथ हमारे मालखाने में मेरे द्वारा जमा नही कराया गया था। प्रदर्श पी 13 टेस्ट मीमो दिनांक 25.01.2020 को हमारे कार्यालय मे मेरे द्वारा ही बनाया गया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। यह कहना सही है कि माल व सैंपल को जांच अधिकारी को सुपुर्द करने के बाद जिस सील से माल व सैंपल को सील्ड मोहर किया गया था वह सील मेरे पास दिनांक 25.01.2020 को मोजूद थी, तब तक नष्ट नही किया गया था। माल व सैंपल को मालखाने मे जमा कराने से पूर्व माल व सैंपल को धारा 55 एनडीपीएस एक्ट की पालना में रीसील्ड नही किया गया था। मेरे द्वारा मौके पर जब्ती की कार्यवाही के बाद माल व सैंपल सी प्रसाद को सुपूर्द करने बाबत कोई भी फर्द सुपूर्दगी की फर्द अलग से नही बनाई गई थी। अजखुद कहा कि इसका अंकन मेरे द्वारा धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की इतला में कर दिया गया था। यह कहना सही है कि उक्त जब्ती की कार्यवाही सूर्यास्त के बाद की गई थी।

18. मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू-3 नितिन सिंह चौहान व पीडब्ल्यू-4 मुकेश गुप्ता न्यायालय के समक्ष आकर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

19. गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार जो कि वक्त घटना केन्द्रीय नारकॉटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकॉटिक्स आयुक्त कोटा में अधीक्षक के पद पर कार्यरत था एवं जब्ती के समय मौके पर मौजूद था, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उस दिन मै किशनगढ-अजमेर रोड, राजस्थान पर मय निवारक दल, निवारक कार्य हेतु तैनात था। उस दिन श्री सीएस प्रसाद अधीक्षक ने मुझे फोन पर बताया कि ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 की तलाशी हेतु उसमें सवार व्यक्तियो ने स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी देने हेतु अनुरोध किया है इस हेतु मुझे मौके पर जीबी के टोल प्लाजा नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर बुलाया। मै लगभग रात्रि 11 बजे करीब मौके पर पहूंचा तो श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहो एवं प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह, जो कि ट्रक में सवार थे उनका परिचय कराया व परिचय कराने के बाद वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद तलाशी का कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें सर्वप्रथम उन दोनो व्यक्तियो की व्यक्तिगत तलाशी ली गई तो कोई भी मादक पदार्थ बरामद नही हुआ इसके उपरांत उपरोक्त ट्रक में आगे की तरफ बनाये गये गुप्त चैम्बर्स की तलाशी ली गई तो उसमें से 48 थैलियां बरामद हुई जिनके मुंह पर भूरे रंग की टैप लगी हुई थी को हटाकर देखा तो उसमें काले भूरे रंग का लचीला पदार्थ भरा हुआ पाया गया, जिसे देखकर, सुंघकर अफीम होना पाया। प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह ने भी उसे अफीम होना स्वीकार किया। बरामदसुदा अफीम का वजन श्री पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा विभागीय तराजू बांट से किया गया तो प्रत्येक थैली का वजन 1 किग्रा मय थैली पाया गया। उन सभी थेलियो को क्रम संख्या 1 से 48 मार्क किया गया। उन सभी थैलियों मे से 25-25 ग्राम के दो-दो नमूना वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु पॉलिथीन की ओटोप्रेस थैलियो में निकाले गये तथा उन्हे सफेद लिफाफे में रखकर जब्ती का विवरण लिखकर चिट बंद व सील बंद किया जाकर मार्का 1 ए से 48 ए व 1 बी से 48 बी दिया गया। बाकी बची अफीम को ज्यों का त्यों बंद कर सफेद कपडे की थेलियों मे रखकर जब्ती का विवरण लिखकर सील बंद चिट बंद किया जाकर उन्हे मार्का 1 से 48 किया गया। जिस ब्रास सील से मुददे माल एवं नमूनो को सील किया गया था उसको बनाये गये पंचनामे के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित किया गया। जब्ती संबंधित संपूर्ण कार्यवाही श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा निवारक दल के सहयोग से पूर्ण की गई तथा

दोनो आरापियो के स्वेच्छा से दिये गये बयान दर्ज किये तथा उनके स्वीकृति उपरांत उन्हे गिरफतार किया गया। जिस ट्रक का अफीम परिवहन करने मे उपयोग किया गया था उसका कोई उचित दस्तावेज न होने के कारण उसे भी एनडीपीएस के नियमो के तहत कब्जे सरकार लिया गया। कोटा कार्यालय पहूंचने के बाद श्री आर के चौधरी निरीक्षक के द्वारा जब्त किये गये मुददे माल व नमूना इत्यादि दिनांक 25.01.2020 को विभागीय मालखाने में जमा कराया गया तथा दिनांक 26.01.2020 को श्री पंकज कुमार निरीक्षक के हाथ सैंपल मार्क 1 ए से ए 48 को वास्ते रासायनिक परीक्षण हेतु नीमच फैक्ट्री में ले जाने हेतु सुपूर्द किये। नीमच फैक्ट्री से रिपोर्ट दिनांक 05.03.2020 प्राप्त हुई जिसमें बरामदसुदा माल अफीम होना पाया। उक्त रिपोर्ट को श्री आर के चौधरी अनुसंधान अधिकारी को सुपूर्द की गई। प्रेमप्रकाश को दिया गया धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 02 है जिस पर एम से एन मेरे हस्ताक्षर है। भूपेन्द्र सिंह को दिया गया धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 03 है जिस पर के से एल मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती पंचनामा अवैध अफीम प्रदर्श पी 04 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर के से एल मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। असल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 77 है जिसके मद संख्या 01 में जमा माल का विवरण है, जिस पर ए से बी जमा माल का विवरण, सी से डी माल जमा कराने वाले के हस्ताक्षर है, ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है जी से एच शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच भिजवाने का अंकन है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है आई से जे माल को एफएसएल हेतु ले जाने वाले के हस्ताक्षर है एवं के से एल रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है, एम से एन माल को 52 ए की कार्यवाही हेतु भिजवाने का अंकन है जिस पर भी ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उक्त मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति को मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था जिस पर ओ से पी मेरे हस्ताक्षर है।

20. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि मै घटना के समय मालखाना इंचार्ज था। मुल्जिमान ने राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी कराये जाने का विकल्प जब्ती अधिकारी को दिया था। इस पर जब्ती अधिकारी ने जो मेरे विभाग का था, मुझ राजपत्रित अधिकारी को तलाशी हेतु मौके पर

बुलाया था किसी स्वतंत्र विभाग के राजपत्रित अधिकारी को मौके पर नही बुलाया गया था। प्रदर्श पी 77 मालखाना रजिस्टर की प्रति मूल मालखाना रजिस्टर की अक्षरक्ष नकल है। माल व सैंपल को मौके पर जब्त करने के बाद उन पर लगाई गई मूल सील जब्ती अधिकारी के पास ही रही। माल व सैंपल मेरे समक्ष मालखाने में दिनांक 25.01.2020 को जमा हुआ था। माल व सैंपल दिनांक 24.01.2020 को जब्त हुआ था। दिनांक 24.01.2020 जब्ती दिनांक से दिनांक 25.01.2020 को मेरे समक्ष माल मालखाने में जमा होने से पहले माल व सैंपल व मूल सील जब्ती अधिकारी के कब्जे में रही थी। अजखुद कहा कि मुददे माल मुझे जब्ती अधिकारी ने जमा नही कराया था अनुसंधान अधिकारी ने कराया था। मौके पर जब्ती अधिकारी ने एफएसएल फॉर्म संख्या 4 व 6 भरकर मौके पर माल व सैंपल को जिस सील से सील्ड मोहर किया था उसकी छाप एफएसएल फॉर्म पर लगाई गई थी लेकिन उक्त मौके पर भरे गये एफएसएल फॉर्म मेरे पास माल व सैंपल के साथ मालखाने में जमा नही कराये गये थे। मैने एफएसएल भेजने हेतु सैंपल पंकज कुमार निरीक्षक को सुपूर्द किये थे। माल व सैंपल एवं मुलजिमान को दिनांक 24.01.2020 को जब्तीस्थल से सीधे कोटा ले जाया गया था। यह कहना सही है कि जब्ती की कार्यवाही की कोई भी विडियोग्राफी व फोटोग्राफी मेरे द्वारा नही की गई। जब्ती अधिकारी ने जब्ती की कार्यवाही टोल पर जहां ट्रक को रोका था वही की थी टोल आफिस के अंदर जाकर नही की थी। मौके की कार्यवाही के दौरान जिस जगह पर ट्रक को रोका था व जहां जब्ती की कार्यवाही की थी वहां का नक्शामौका जब्ती अधिकारी ने उस समय बनाया था। अजखुद कहा कि जब्ती अधिकारी ने अन्य दस्तावेजो के साथ नक्शामौका भी बनाया होगा। मैने मालखाना रजिस्टर में पूरणमल मीणा के हस्ताक्षर नही कराये थे। यह कहना गलत है कि जब्ती की कार्यवाही सूर्यास्त से बाद व सूर्योदय से पूर्व की गई हो। अजखुद कहा कि कुछ कार्यवाही रात में तथा कुछ कार्यवाही सूर्योदय के बाद हुई थी।

इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण राकेश, श्रवण व जयराम की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह मुझे जानकारी नही है कि संदिग्ध वाहन व व्यक्तियो को जब मोके पर पकडा तो उसमें से कोई दस्तावेज पर्ची या कागज नही मिला कि उक्त माल किस व्यक्ति को बेचा

जा रहा था। अजखुद कहा कि कुछ दस्तावेज मिले थे लेकिन वे दस्तावेज राकेश, श्रवण व जयराम से संबंधित थे अथवा नही मुझे जानकारी नही है।

21. गवाह पीडब्ल्यू-09 आर.के. चौधरी, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 23.01.2020 को मै कार्यालय उपनारकॉटिक्स आयुक्त कोटा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उस दिन शाम को लगभग 05 बजे मुझे एंव श्री पंकज कुमार निरीक्षक को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मारवाड क्षेत्र के प्रेमप्रकाश पुत्र भिंयाराम विश्नोई एवं भूपेन्द्र सिंह पुत्र जबरसिंह चारण अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त होकर ये दोनो आज दिनांक 23.01.2020 को समय रात्रि दस बजे से दिनांक 24.01.2020 को समय सुबह 6 बजे के बीच तक ट्रक क्रमांक आरजे 19 जीबी 2942 से लगभग चालीस से पचास किलोग्राम अफीम उक्त ट्रक में बने गुप्त चैम्बर में छुपाकर किशनगढ होते हुए जोधपुर जायेंगे। मुखबिर ने यह भी बताया कि उक्त दोनो व्यक्तियो से उसके कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है एवं वह यह सूचना राष्ट्रीय हित में दे रहा है। प्राप्त सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने से मेरे एवं श्री पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर सूचना प्रपत्र सीबीएन 01 में दर्ज कर अपने निकटतम वरिष्ठत राजपत्रित अधिकारी श्री सी. प्रसाद अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा श्री पूरणमल मीणा निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। मुखबिर सूचना की एक प्रति उप नारकॉटिक्स कोटा एवं एक प्रति सहायक नारकॉटिक्स आयुक्त ग्वालियर को भी भिजवाई गई। मुखबिर सूचना प्रदर्श पी 79 है जिसके आई से जे भाग पर मेरे हस्ताक्षर है जी से एच भाग पर श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा पूरणमल को किये गये आदेश का पृष्ठांकन है। तत्पश्चात अधिक्षक महोदय द्वारा दिये गये आदेश की पालना में श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा एक निवारक दल का गठन किया गया। जिसमें श्री सी प्रसाद अधीक्षक स्वयं एवं मै भी शामिल था। निवारक दल जरिये शासकीय वाहन कोटा कार्यालय से शाम को छः बजे रवाना होकर लगभग रात्रि में सवा दस बजे जी.वी.के टोल प्लाजा किशनगढ पहूंचे वहां पहूंचकर श्री पीएम मीणा निरीक्षक ने दो स्वतंत्र व्यक्तियो को तलब कर उन्हे मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए सूचना की पुष्टि कार्यवाही हेतु मौके पर बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहकर उपस्थित रहने का आग्रह किया जिसकी उन

"Authenticated Documents"

दोनो व्यक्तियो ने मौखिक सहमती प्रदान की। तत्पश्चात निवारक दल के सभी सदस्यो को मुखबिर सूचना से अवगत करवाते हुए निवारक दल टोल प्लाजा पर उपस्थित रहकर सूचना में वर्णित वाहन के आने का इंतजार करने लगा। रात्रि में लगभग साढे दस बजे सूचना में वर्णित वाहन जयपुर की ओर से किशनगढ टोल प्लाजा पर आकर रूका। निवारक दल के सदस्य श्री पीएम मीणा निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए वाहन के चालक से उसका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रेमप्रकाश पुत्र भिंयाराम विश्नोई एवं साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र जबर सिंह चारण होना बताया। सूचना की पुष्टि होते देख श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा उक्त वाहन को टोल से लगभग पचास मीटर आगे साइड में खडा करवाकर वाहन चालक एवं साथ बैठे व्यक्ति को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुए उनकी एवं ट्रक की तलाशी हेतु आग्रह किया। साथ ही उन्हे यह भी बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 50 के तहत उन्हे यह अधिकार है कि वे चाहे तो अपनी तथा अपने ट्रक की तलाशी किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट या सक्षम राजपत्रित अधिकारी के समक्ष भी दे सकते है। उन्हे यह भी बताया गया कि यदि उपरोक्त अधिकारी तलाशी बाबत युक्तियुक्त आधार नही पाते है तो आपको तलाशी से उन्मोचित भी कर सकते है। उक्त आशय के धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के अलग-अलग नोटिस उक्त दोनो व्यक्तियो को श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा दिये गये एवं उक्त नोटिस पर उनके द्वारा स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने की लिखित इच्छा जाहिर की गई। इस क्रम में विभाग का एक अन्य निवारक दल जो कि निवारक कार्य के सिलसिले में किशनगढ टोल प्लाजा से लगभग आठ-दस किमी दूर तैनात था एवं जिसका नेतृत्व श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक कर रहे थे, उनको श्री सी.प्रसाद अधीक्षक द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर मौके पर बुलवाया गया। लगभग दस मिनट बाद श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक मौके पर उपस्थित हुए जिनके समक्ष श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो व्यक्तियो एवं उनके कब्जे वाले ट्रक की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के फलस्वरूप ट्रक के ट्रोले में आगे के ओर बने एक गुप्त चैम्बर से एक-एक किलो की 48 अफीम की थैलियां बरामद हुई। जिन्हे विधिवत जब्त किया गया एवं उनमें से नियमानुसार पच्चीस-पच्चीस ग्राम के दो-दो सैंपल रासायनिक जांच हेतु

निकाले गये। इसके उपरांत पुनः सभी थैलियों को मार्क 1 से लगायत 48 तक अंकित कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 60(1) के तहत कब्जे सरकार लिया गया। मौके पर ही जब्ती संबंधित सभी दस्तावेज एवं सील चिट की कार्यवाही श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा निवारक दल के सदस्यो के सहयोग से पूर्ण की गई। जिस सील का प्रयोग मुद्दे-माल नमूना आदि को सीलचिट करने में किया गया उसका नमूना जब्ती पंचनामें के प्रत्येक पेज के हाशय पर अंकित किया गया। साथ ही उक्त अवैध अफीम के परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या आरजे 19 जीबी 2942 को भी धारा 60(3) एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर कब्जे सरकार किया गया। मौके पर ही श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा उक्त दोनो व्यक्तियो प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह के स्वेच्छा से दिये गये कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किये गये। जिसमें उन दोनो व्यक्तियो द्वारा अपना अपराध स्वीकार किये जाने के कारण उनको धारा 8/18 बी के तहत कारण व आधार बताते हुए गिरफतार किया। तत्पश्चात दिनांक 24.01.2020 को समय लगभग 15.00 बजे उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट श्री सी.प्रसाद अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन पश्चात श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा मुझे इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अन्तर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 12 है जिसके जी से एच भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं आई से जे भाग पर मेरे द्वारा नोटेड सर का अंकन है। तत्पश्चात मेरे द्वारा प्रकरण की पत्रावली मय माल मुल्जिम इत्यादि के प्राप्त कर प्रकरण का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दिनांक 24.01.2020 को ही मेरे द्वारा प्रकरण में गिरफतार आरोपी भूपेन्द्र सिंह के स्वेच्छिक कथन दर्ज किये गये जिसमे उसने जब्ती अधिकारी दिये गये अपने कथनो को सही बताते हुए उनकी पुष्टि की। मेरे द्वारा भूपेन्द्र सिंह के दर्ज किये गये कथन प्रदर्श पी 83 है जिसके ए से बी भाग पर भूपेन्द्र सिंह, व सी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा प्रेमप्रकश के दर्ज किये गये कथन प्रदर्श पी 84 व 85 है जिसके ए से बी भाग पर प्रेमप्रकाश, व सी से डी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। तत्पश्चात दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा उक्त दोनो आरोपियों का चिकित्सीय परीक्षण करवाकर माननीय ए.एम.जे.एम न्यायालय किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर आरोपी भूपेन्द्र सिंह की न्यायिक

अभिरक्षा एवं आरोपी प्रेमप्रकाश की विभागीय अभिरक्षा प्राप्त कर आरोपी भूपेन्द्र सिंह को केन्द्रीय जेल अजमेर में दाखिल कराया गया। तत्पश्चात मै पुनः मय निवारक दल व मुददे माल, मुल्जिम इत्यादि के किशनगढ से रवाना होकर कोटा कार्यालय पहूंचा एवं मेरे द्वारा दिनांक 25.01.2020 को समय 01.30 बजे विभागीय मालखाना में प्रकरण से संबंधित मुद्दे माल सैंपल एवं वाहन को जमा करवाया गया। मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 77 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। सैंपल रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 86 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे एवं सी से डी भाग पर राजेन्द्र कुमार मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 77 पर ए से बी मेरे एवं सी से डी राजेन्द्र कुमार अधीक्षक के हस्ताक्षर है ई से एफ दिनांक 15.07.2020 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 01 कोटा द्वारा की गई धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही का अंकन है तथा जी से एच दिनांक 16.07.2020 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 01 कोटा द्वारा की गई धारा 52 ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही का अंकन है। बाद अनुसंधान मेरे द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आरोपी प्रेमप्रकाश को चिकित्सीय परीक्षण के बाद माननीय अपन जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक अभिरक्षा प्राप्त कर आरोपी प्रेम प्रकाश को केन्द्रीय जेल अजमेर में दाखिल कर सुपूर्दगी रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात दिनांक 25.01.2020 को प्रकरण में निकाले गये नमूने 1 ए से लगातय 48 ए की मय टेस्ट मीमो रासायनिक जांच हेतु शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच श्री पंकज कुमार निरीक्षक के हस्ते भिजवाये गये। भेजे गये नमूनो की जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 है जिसमें भेजे गये सभी 48 नमूनो का अफीम होना पाया गया है। दौराने अनुसंधान यह तथ्य प्रकाश में आया कि बरामद सुदा अफीम हीरानगर, जोधपुर निवासी राकेश पुत्र कालूराम जाट एवं जयराम पुत्र पेमाराम जाट द्वारा गिरफतारी आरोपी प्रेमप्रकाश के माध्यम से मंगवाई गई थी। उक्त दोनो व्यक्तियो को प्रकरण के अनुसंधान के क्रम में मेरे द्वारा धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस जारी कर एवं समय-समय पर उनके घर पर दबिश देकर उनकी तलाश की गई परंतु उक्त दोनो व्यक्ति फरार होना पाये गये। दौराने अनुसंधान दिनांक

14.06.2020 को मेरे द्वारा निवारक दल के साथ प्रकरण में वांछित व्यक्ति राकेश पुत्र कालूराम जाट के रिहायशी मकान जोधपुर में दबिश की गई तो उक्त व्यक्ति वहां मौजूद मिला जिसे मेरे द्वारा धारा 67 एनडीपीएस एक्ट का सम्मन जारी किया गया। जिस पर उसने मेरे साथ चलकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की। उक्त राकेश को दिया गया धारा 67 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 87 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है सी से डी भाग पर राकेश द्वारा नोटिस प्राप्त करने का अंकन मय हस्ताक्षर है, ई से एफ भाग में उसके द्वारा दी गई सहमती का अंकन है एवं जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नोटिस देने के संबंध में बनाये गये पंचनामा प्रदर्श पी 88 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे, सी से डी भाग पर राकेश के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात मेरे द्वारा उक्त राकेश को ब्यूरो के जयपुर कार्यालय ले जाकर उसके स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट मेरे द्वारा दर्ज किये गये जो प्रदर्श पी 89 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर, सी से डी भाग राकेश के हस्ताक्षर है। अपने उक्त बयानो में राकेश ने जयराम पुत्र पेमाराम जाट को प्रकरण में जब्त 48 किलोग्राम अवैध अफीम का मुख्य सरगना बताते हुए यह भी बताया कि बरामद अफीम गुवाहाटी से श्रवण पंडित नाम के व्यक्ति ने ट्रक में रखवाई थी। उक्त श्रवण पंडित नौखा, बीकानेर का रहने वाला है। इसके अलावा भी उसने कई व्यक्तियो के नाम बताये थे जो कि इन सभी के साथ अफीम तस्करी में शिामल थे। राकेश कुमार के दिनांक 21.06.2020 को मेरे द्वारा दर्ज किये गये बयान प्रदर्श पी 90 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे एवं सी से डी भाग पर राकेश के हस्ताक्षर है। उक्त बयानो में राकेश ने बताया कि मेरे नम्बर से दिनांक 22.01.2020 को प्रेमप्रकाश के मोबाइल नम्बर पर चार बार बात हुई थी। उसके बारे में पुछने पर बताया कि प्रेमप्रकाश से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जयराम की बात नही हो पा रही थी तो उसने मुझे प्रेमप्रकाश से नॉरमल बात करने को बात कहा था। मैने प्रेम प्रकाश से नॉरमल कॉल पर बात कर जयराम को बताया कि नेटवर्क नही मिलने के कारण व्हाट्सएप कॉल से बात नही हो पा रही है तथा वह रास्ते में चल रहा है एवं सब-कुछ ठीक-ठाक है। राकेश द्वारा बताया गये अन्य व्यक्तियो को भी मेरे द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं उनके निवास स्थान पर उक्त लोगो की तलाश की गई। राकेश को मेरे द्वारा

दिनांक 14.06.2020 को धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कारण व आधार बताकर गिरफतार किया गया एवं गिरफतारी की विस्तृत रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 57 एनडीपीएस एक्ट श्रीमान अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श पी 91 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात मेरे द्वारा दिनांक 15.06.2020 को माननीय ए.एम.जे.एम न्यायालय किशनगढ उक्त राकेश को पेश कर विभागीय अभिरक्षा प्राप्त कर प्रकरण के संबंध में अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान पुनः दिनांक 22.06.2020 को चिकित्सीय परीक्षण करवाकर उक्त राकेश को माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर विभागीय अभिरक्षा प्राप्त कर केन्द्रीय जेल अजमेर में दाखिल करवाकर सुपूर्दगी रसीद प्राप्त की। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा प्रकरण में जब्तसुदा वाहन आरजे 19 जीबी 2942 के संबंध में क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी जोधपुर से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त की गई जिसमें उक्त वाहन प्रकरण में पूर्व गिरफतार आरोपी प्रेमप्रकाश पुत्र भियांराम विश्नोई के नाम दर्ज होना पाया गया। लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 92 है एवं प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी 93 है। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा गिरफतार आरोपियों द्वारा अपने कथनो में बताये गये विभिन्न मोबाइल नम्बरो के संबंध में भी अलग-अलग मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियो से बात की गई एवं उसे शामिल पत्रावली किया गया। जिन व्यक्तियो के नाम उक्त नम्बर पाये गये उन व्यक्तियो को धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस जारी कर पत्रावली में शामिल किये गये। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा प्रकरण में गिरफतार आरोपी प्रेमप्रकाश के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी पीएस बिलाडा जोधपुर ग्रामीण से प्राप्त की गई जिसमें उक्त व्यक्ति के खिलाफ में पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होना नही पाया गया। लिखा गया पत्र एवं प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी 94 है। दौराने अनुसंधान विभिन्न मोबाइल नम्बरो की कॉल डिटेल प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया गया जिसमे पाया गया कि आरोपी प्रेमप्रकाश से जब्त मोबाइल नम्बर से राकेश पुत्र कालूराम जाट के नाम से जारी मोबाइल पर दिनांक 22.01.2020 को चार बार बात हुई थी। साथ ही सीडीआर में प्राप्त टावर लोकेशन से भी आरोपियों द्वारा बताये गये यात्रा मार्ग की पुष्टि हुई। दौराने अनुसंधान प्रकरण में बरामद अवैध अफीम की धारा 52ए की

कार्यवाही हेतु मेरे द्वारा दिनांक 25.06.2020 को माननीय सीजेएम कोटा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं उनके द्वारा दिये गये आदेशानुसार श्रीमान एसीजेएम संख्या 01 कोटा द्वारा दिनांक 15 एवं 16.07.2020 को धारा 52 ए की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई। मेरे द्वारा दिया गया आवेदन प्रदर्श पी 95 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा के हस्ताक्षर मय सील है। माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 कोटा द्वारा धारा 52 ए के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र मय कार्यवाही रिपोर्ट जो कि कुल 16 पृष्ठो में है जो प्रदर्श पी 96 है जिसके ए से बी भाग पर श्री कृष्ण मुरारी जिंदल माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 कोटा के हस्ताक्षर है एवं हस्ताक्षर के नीचे उनकी सील का अंकन है। श्री कृष्ण मुरारी जिंदल माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 कोटा द्वारा इस संबंध में भेजा गया अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 97 है जिसके ए से बी भाग पर माननीय न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर होकर नीचे उनकी सील का अंकन है। धारा 52 ए की कार्यवाही के दौरान लिये गये कुल फोटोग्राफ 353 प्रदर्श पी 98 लगायत प्रदर्श पी 450 है। उक्त सभी फोटोग्राफ के पीछे श्री कृष्ण मुरारी जिंदल माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 कोटा के हस्ताक्षर मय सील का अंकन है। मोबाइल सेवा प्रदाता रिलायंस जिओ कंपनी को मोबाइल नम्बर 8302092510, 6377394762, एवं 6266890142 के कैफ आईडी एवं सीडीआर के लिए लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 451 है जिसके प्रतिउत्तर में नोडल अधिकारी रिलायंस जिओ द्वारा जारी धारा 65 बी का प्रमाण मय कैफ आई डी प्रदर्श पी 452 है। सीडीआर की सीडी प्रदर्श पी 453 है। मोबाइल सेवा प्रदाता एयर्टल कंपनी को मोबाइल नम्बर 7073744114, 8306292909, 9102224821, 7086696438, 9957540881, एवं 7742608117 के कैफ आईडी एवं सीडीआर के लिए लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 454 है जिसके प्रतिउत्तर में नोडल अधिकारी एयर्टल कंपनी द्वारा जारी धारा 65 बी का प्रमाण मय कैफ आई डी मय सीडीआर प्रदर्श पी 455 है। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा विभिन्न विभागीय एवं स्वतंत्र गवाहो के बयान दर्ज किये गये उक्त बयानो से इस प्रकरण मे जब्त 48 किलोग्राम अफीम को अवैध होने की पुष्टि होती है।

22. प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर मेरे द्वारा दिनांक 20.07.2020

को माननीय न्यायालय मे तीनो आरोपी क्रमशः प्रेमप्रकाश, भूपेन्द्र सिंह, एवं राकेश जाट के विरूद्व शिकायत पत्र अन्तर्गत धारा 8/18 बी, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट 1985 दाखिल किया। दौराने अनुसंधान मैने पाया कि उक्त तीनो व्यक्ति प्रकरण में बरामद 48 किग्रा अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त है। मूल शिकायत पत्र दिनांक 20.07.2020 में इस प्रकरण के संबंध में श्रवण पंडित निवासी नौखा बीकानेर के विरूद्व अनुसंधान अपूर्ण एवं जयराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी 67 हीरानगर, झालामंड बाईपास, जोधपुर के विरूद्व अनुसंधान 173(8) सीआरपीसी के अन्तर्गत खुला रखा गया था। दौराने अनुसंधान मुझे यह जानकारी मिली कि उक्त श्रवण पुत्र फूसाराम निवासी नौखा बीकानेर पुलिस थाना करधनी, जयपुर पश्चिम की एफ.आई.आर संख्या 1027 जब्ती अवैध अफीम 55 ग्राम दिनांक 25.11.2021 में गिरफतारसुदा होकर सीकर जेल में निरूद्व है। इस पर मेरे द्वारा अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह सीकर से जानकारी प्राप्त की गई जिसमें पता चला कि उक्त श्रवण एनसीबी जोधपुर के एनडीपीएस केस में सीकर जेल में निरूद्व है। इसके बाद मेरे द्वारा माननीय न्यायालय किशनगढ में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उक्त श्रवण को सीकर जेल से प्राप्त कर इस प्रकरण के संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा इस प्रकरण के संबंध में उसके स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किये गये। जिसमें उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किये जाने के बाद उसे कारण एवं आधार बताकर दिनांक 17.12.2021 को गिरफतार किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.12.2021 को बाद चिकित्सीय परीक्षण माननीय न्यायालय किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागृह अजमेर दाखिल करवाया गया। अपने स्वेच्छिक कथनो में उक्त श्रवण ने बताया कि उसके द्वारा एक-एक किलोग्राम अफीम के 48 पैकेट जयराम पुत्र पेमाराम जाट के बताये गये ट्रक ड्राइवर एवं खलासी को गुवाहाटी में उपलब्ध करवाये थे। अपने बयानो में उसने राकेश पुत्र कालूराम जाट की संलिप्तता भी उक्त प्रकरण में बताई थी। बरामद अफीम उसने मणिपुर में मोरे बॉर्डर निवासी किसी यूंगलेन नाम की महिला से प्राप्त करना बताया था परन्तु उक्त महिला के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दौराने अनुसंधान प्राप्त नही हुई। इस हेतु वहां के पुलिस अधिकारियो से भी पत्राचार कर पत्रावली में शामिल किया गया

किंतु उक्त महिला के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नही हुई। दौराने अनुसंधान उक्त श्रवण के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी से मालूम चला कि उक्त व्यक्ति एनसीबी जोधपुर एवं पीएस करधनी जयपुर में भी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणो में वांछित है अतः प्रमाणित है कि उक्त श्रवण मादक पदार्थ तस्करी का आदतन अपराधी होकर मादक पदार्थो की तस्करी में पूर्ण रूप से लिप्त है। अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह सीकर को लिखा गया लिखा गया पत्र प्रदर्श 456 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। कारापाल सीकर से प्राप्त ई-मैल प्रदर्श पी 457 है जिसके ए से बी भाग पर कारापाल सीकर के हस्ताक्षर है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रॉडक्शन वारंट प्राप्त करने हेतु लगाया गया आवेदन प्रदर्श पी 458 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है इस पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रॉडक्शन वारंट का आदेश दिनांक 07.12.2021 प्रदर्श पी 459 है जिस पर ए से बी मेरे एवं सी से डी माननीय न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर मय सील अंकित है। सीकर जेल से श्रवण को प्राप्त करने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 460 है जिसके ए से बी भाग कारापाल सीकर जेल के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा उक्त श्रवण के स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी 461 है जिस पर ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर श्रवण के हस्ताक्षर है। पंचनामा श्रवण की गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 462 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी श्रवण के हस्ताक्षर है। श्रवण की गिरफतारी के संबंध में मेरे द्वारा अधीक्षक महोदय को दिया गया धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 462 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे, सी से डी भाग पर राजेन्द्र कुमार अधीक्षक के व ई से एफ भाग पर उनकी हस्तलिपि में दिये गये आदेश का अंकन है। श्रवण की गिरफतारी की सूचना जो कि उसके पिता फूसाराम को जरिये दूरभाष दी गई जो प्रदर्श पी 463 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर श्रवण के हस्ताक्षर है। श्रवण के विरूद्व पीएस करधनी जयपुर पश्चिम में दर्ज एफआईआर संख्या 1027 दिनांक 25.11.2021 अन्तर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 464 है। दौराने अनुसंधान मुझे यह जानकारी मिली कि इस प्रकरण मे वांछित जयराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी जोधपुर पुलिस थाना मनोहरपुर, जयपुर के प्रकरण संख्या 108/2020 अन्तर्गत धारा 8/25,29 में गिरफतारसुदा

"Authenticated Documents"

होकर उप कारागृह कोटपूतली में निरूद्व है। इस पर मेरे द्वारा उपकारापाल उप कारागृह कोटपूतली से जानकारी प्राप्त की गई जिसमें पता चला कि उक्त जयराम माननीय एडीजे क्रम संख्या 01, कोटपूतली के आदेश से पीएस मनोहरपुर के उपरोक्त वर्णित प्रकरण में दिनांक 06.07.2022 से निरूद्व है। इसके बाद मेरे द्वारा माननीय न्यायालय किशनगढ में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उक्त व्यक्ति जयराम को कोटपूतली जेल से प्राप्त कर इस प्रकरण के संबंध में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा इस प्रकरण के संबंध में उसके स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किये गये। जिसमें उसके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किये जाने के बाद उसे कारण एवं आधार बताकर दिनांक 08.07.2022 को गिरफतार किया गया।

23. तत्पश्चात दिनांक 09.07.2022 को बाद चिकित्सीय परीक्षण माननीय अवकाशकालीन न्यायाधीश महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर तीन दिन की विभागीय अभिरक्षा प्राप्त कर प्रकरण के संबंध में विस्तृत पुछताछ की गई। तत्पश्चात दिनांक 12.07.2022 को पुनः चिकित्सीय परीक्षण करवाकर जयराम माननीय न्यायालय किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा हासिल कर नियमानुसार केन्द्रीय जेल अजमेर में दाखिल करवाया। उक्त दोनो व्यक्तियो के श्रवण पुत्र फूसाराम व जयराम पुत्र पेमाराम जाट के गिरफतारी से संबंधित धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की रिपोर्ट मेरे द्वारा गिरफतारी के तुरंत बाद अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपअधीक्षक कारागृह कोटपूतली को लिखा गया लिखा गया पत्र प्रदर्श 465 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। कारापाल कोटपूतली से प्राप्त ई-मैल प्रदर्श पी 466 है जिसके ए से बी भाग पर कारापाल कोटपूतली के हस्ताक्षर है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रॉडक्शन वारंट प्राप्त करने हेतु लगाया गया आवेदन प्रदर्श पी 467 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है इस पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी प्रॉडक्शन वारंट का आदेश दिनांक 08.07.2022 प्रदर्श पी 468 है जिस पर ए से बी मेरे एवं सी से डी माननीय न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर मय सील अंकित है। कोटपूतली जेल से जयराम को प्राप्त करने बाबत तहरीर प्रदर्श पी 469 है जिसके ए से बी भाग कारापाल कोटपूतली जेल के हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा उक्त जयराम के स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 08.07.2022 प्रदर्श पी 470 है जिस पर ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर जयराम के हस्ताक्षर है। पंचनामा जयराम की गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 471 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी जयराम के हस्ताक्षर है। जयराम की गिरफतारी के संबंध में मेरे द्वारा अधीक्षक महोदय को दिया गया धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना प्रदर्श पी 472 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे, सी से डी भाग पर श्री मुकेश खत्री अधीक्षक के व ई से एफ भाग पर अवलोकन किये जाने का अंकन है। मेरे द्वारा उक्त जयराम के स्वेच्छिक कथन अन्तर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 11.07.2022 प्रदर्श पी 473 है जिस पर ए से बी भाग पर मेरे व सी से डी भाग पर जयराम के हस्ताक्षर है। पुलिस थाना डांगियावास जोधपुर को आरोपी जयराम के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी बाबत लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 474 है जिसके ए से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर एवं प्राप्त सत्यापित जानकारी प्रदर्श पी 475 है। जिसके अनुसार उक्त जयराम पूर्व में भी 21 किलो अफीम के केस में आरोपित होकर जेल में निरूद्व रहा है। जयराम के बैंक खाते की जानकारी के लिए एसबीआई हाईकोर्ट शाख जोधपुर को लिखा गया पत्र प्रदर्श 476 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर बैंक की रीसील्ड का अंकन है तथा प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी 477 है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बैंक की सील का एक्स स्थान पर अंकन है। उक्त जानकारी से कुछ संदिग्ध लेन-देन की जानकारी प्राप्त हुई जिसके संबंध में आगे अनुसंधान हेतु पुनः बैंक को लिखा गया परन्तु जानकारी प्राप्त नही हुई। अपने स्वेच्छिक कथनो में उक्त जयराम ने बताया कि उसके द्वारा ही राकेश पुत्र कालूराम जाट एवं श्रवण फूसाराम के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक प्रेमप्रकाश एवं भूपेन्द्र सिंह के माध्यम से प्रकरण में बरामद 48 किलोग्राफ अवैध अफीम की तस्करी का कार्य किया गया था। जयराम के आपराधिक रिकॉर्ड से उसके विरूद्व पूर्व में भी कई एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज होना पाये गये है। अतः प्रमाणित है कि उक्त जयराम मादक पदार्थ तस्करी का आदतन अपराधी होकर मादक पदार्थो की तस्करी में पूर्ण रूप से लिप्त है। उक्त दोनो व्यक्तियो के विरूद्व मेरे द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किये गये। मेरे अनुसंधान में उक्त दोनो व्यक्ति भी इस प्रकरण में बरामद 48 किलोग्राम अवैध अफीम की

तस्करी में पूर्ण रूप से लिप्त होना पाये गये है। प्रकरण में बरामदसुदा अफीम को औषधी व्ययन समिति द्वारा दिनांक 23.09.2021 को निरीक्षण कर शेष अफीम को नियमानुसार शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच में दिनांक 22.06.2022 को जमा करवा दिया गया है औषधी व्ययन समिति की निरीक्षण की छायाप्रति प्रदश्र पी 478 है एवं अफीम को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच में जमा करवाने की रसीद की छायाप्रति प्रदर्श पी 479 है।

24. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो राजपत्रित अधिकारी मोके पर मौजूद थे वे हमारे ही विभाग के थे। नमूने सैंपल मेरे समक्ष लिये गये थे। उक्त नमूना सेंपल मालखाने मे जमा कराने हेतु मुझे श्री सी.प्रसाद अधीक्षक ने आदेश किये थे। मेरे द्वारा मालखाना में माल व सैंपल को जमा कराने से पूर्व धारा 55 एनडीपीएसएक्ट के तहत कोई अलग से सील नही लगाई थी। यह कहना सही है कि मैं जब्ती दल का सदस्य भी था एवं मैने ही इस प्रकरण का अनुसंधान किया था। जब्तसुदा सैंपल एफएसएल जाचं के लिए दिनांक 25.01.2020 को भेजा गया। उक्त सैंपल मौके से निकाले गये थे मजिस्ट्रेट साहब से प्रमाणित किये हुए नही थे।मुखबिर की सूचना मेरे समक्ष आई थी। उक्त सूचना को मेरे द्वारा ही लेखबद्व किया गया था। मुखबिर स्वयं ने उपस्थित होकर सूचना हमारे कार्यालय में दी थी। प्रदर्श पी 79 सी से डी इबारत मेरे द्वारा लिखी गई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 79 सीबीएन फॉर्म नम्बर 01 पर मुखबिर का एक कॉलम है। हम कोटा से किशनगढ शासकीय वाहन से आये थे। उक्त वाहन के नम्बर 2309 स्कॉर्पियो थी। टोल प्लाजा पर कार्यवाही के बाद मै जाब्ते के साथ किशनगढ कोर्ट आया था तथा किशनगढ कोर्ट में माल सैंपल व मुल्जिम को पेश किया था। यह कहना सही है कि मेरे व जब्ती दल के पास स्मार्ट कैमरा युक्त मोबाइल फोन थे। मेरे व निवारक दल के किसी सदस्य द्वारा मोके की कार्यवाही की एक भी फोटोग्राफी व विडियोग्राफी नही की गई। स्वतंत्र गवाह को पीएम मीणा निरीक्षक जब्ती अधिकारी ने मौके पर बुलाया था। मौके की कार्यवाही के दौरान मालखाना रजिस्टर पर मौके पर काम में ली गई सीबीएन मार्के की सरकारी सील जो थी जिससे माल व सैंपल को सील्ड मोहर किया था उसकी सील्ड व छाप

पर मौके पर मालखाना रजिस्टर या रोजनामचा रजिस्टर पर नही लगाई थी। अजखुद कहा कि मालखाने में माल जमा कराने के बाद मालखाना रजिस्टर में उक्त सील की छाप लगाई थी। पूरणमल मीणा निरीक्षक को मुखबिर ने सीधे सूचना नही दी थी। मालखाना में माल जमा कराने बाबत मेरे मालखाना रजिस्टर पर हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि यह जब्ती की कार्यवाही सूर्यास्त के बाद की गई थी। रात्रिकालीन अफीम जब्ती की कार्यवाही के लिए जब्ती कार्यवाही के लिए जब्ती अधिकारी ने कोई अलग से मौका पर्चा नही बनाया था। उक्त कार्यवाही किशनगढ थाना क्षेत्र में हुई थी लेकिन उक्त कार्यवाही की सूचना किशनगढ के किसी भी थाना क्षेत्र को नही दी थी। दो स्वतंत्र गवाह जो मौके पर बुलाये गये उनसे इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह बनने बाबत लिखित सहमती मेरे समक्ष नही ली थी बल्कि मोखिक सहमती ली थी।

25. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त जयराम व श्रवण की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि सेः- पी 89 बयान मेरे द्वारा लेखबद्व किये गये उससे पूर्व मैने राकेश को गिरफतार नही किया था बल्कि बयान लेखबद्व करने के बाद मैने राकेश को गिरफतार किया था। यह कहना सही है कि राकेश भी इस प्रकरण में अभियुक्त है। मेरे द्वारा मुल्जिमान के उक्त कथित मोबाइल नम्बरो की जिन पर उनकी बातचीत हुई, की सीडीआर निकलवाई थी। मेरे द्वारा अभियुक्तगण जयराम व श्रवण को गिरफतार किया गया था। यह कहना सही है कि मुल्जिमान जयराम व श्रवण की जामा तलाशी में मुझे कोई मोबाइल नही मिला था। अजखुद कहा कि चूंकि मुल्जिम जयराम व श्रवण को प्रोडक्शन वांरट पर जेल से प्राप्त किया गया था इसलिए उसके पास कोई मोबाइल नही मिला था। मेरे द्वारा जयराम व श्रवण का मोबाइल व सिम जब्त नही किये गये थे। यह कहना सही है कि मुल्जिमान जयराम व श्रवण से कोई मादक पदार्थ बरामद नही हुआ था।

26. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त राकेश की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि इस प्रकरण में जब्ती दल का मै भी एक सदस्य था। यह कहना सही है कि इस प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी भी मै ही था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 79 में मुखबिर से ऐसी कोई इतला नही थी कि मादक पदार्थ राकेश के लिए खरीदा हो,या

राकेश खरीदेगा और न ही इसमें राकेश का नाम अंकित है। यह कहना सही है कि दिनांक 24.01.2020 को जो मादक पदार्थ अफीम जब्त हुआ वह राकेश के पजेशन से जब्त नही हुआ था। यह कहना सही है कि दौराने अनुसंधान यह मेरे ध्यान में आ गया था कि संदिग्ध वाहन से जो मादक पदार्थ मिला है वह वाहन भी राकेश नाम के व्यक्ति के नाम पंजीकृत नही है। यह कहना सही है कि संदिग्ध व्यक्ति प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र की तलाशी व संदिग्ध वाहन की तलाशी से ऐसा कोई दस्तावेज, पर्ची या बिल नही मिला था कि अफीम किस व्यक्ति के लिए खरीद कर लाये हो और किस व्यक्ति को बेचना है। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में राकेश को अभियुक्त संदिग्ध व्यक्ति प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र के कहे अनुसार बनाया था।

27. गवाह पीडब्ल्यू-08 सीप्रसाद, जो कि हस्तगत प्रकरण में निवारक दल का अधिकारी था, ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मै दिनांक 23.01.2020 को अधीक्षक, सीबीएन कोटा के पद पर पदस्थापित था। हमारे अधीनस्थ आर.के चौधरी व पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा मेरे समक्ष एक सूचना (सीबीएन 1) प्रस्तुत की गई। सूचना (सीबीएन 1) प्रदर्श पी 79 है जिस पर ई से एफ मेरे दो जगह हस्ताक्षर है जी से एच मेरे द्वारा पीएम मीणा को दिया आदेश अंकित है जिस पर सी से डी उक्त सूचना का अंकन है। जिसके अनुसार दिनांक 23.01.2020 को रात्रि 22.00 बजे से दिनांक 24.01.2020 की सुबह 06.00 बजे के बीच ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 लगभग 40 से 50 किग्रा अफीम लेकर जोधपुर हेतु किशनगढ टोल प्लाजा से गुजरेगा। जिस पर मैने त्वरित कार्यवाही हेतु श्री पी.एम मीणा निरीक्षक को आदेशित किया। श्री पूरणमल मीणा द्वारा निवारक दल का गठन किया गया। टीम के गठन के बाद हम सांय 18.00 बजे मै स्वयं निवारक दल के साथ मौके हेतु रवाना हो गया। जिस पर हम 22.15 बजे किशनगढ टोल प्लाजा पर पहूंच गये। निवारक दल के निरीक्षक श्री पीएम मीणा द्वारा दो स्वतंत्र गवाहन किये गये तथा लगभग 22.30 बजे सम्बन्धित वाहन टोल पर पहूंचा। जिसे पीएम मीणा द्वारा रोका गया। चालक एंव खलासी से आवश्यक पुछताछ की गई। जिस पर चालक ने अपना नाम प्रेमप्रकाश बताया तथा खलासी ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालिम सिंह बताया। स्वतंत्र गवाहो के समक्ष पीएम मीणा द्वारा चालक एवं परिचालक को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया गया। जिस पर

उक्त दोनो व्यक्तियो ने अपनी तलाशी स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लेने के लिए लिखित में सहमती दी। जिस पर मेरे द्वारा स्वतंत्र राजपत्रित अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार अधीक्षक जो हमसे लगभग सात-आठ किमी की दुर पर निवारक दल का कार्य कर रहे थे उनको फोन करके बुलाया गया। जिस पर श्री राजेन्द्र अधीक्षक मोके पर आये और उनके द्वारा सम्पूर्ण तलाशी की कार्यवाही की गई। तलाशी में उक्त व्यक्तियो से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नही हुई। ट्रोले की तलाशी में आगे की साइड में बने गुप्त चैम्बर में भूर रंग का पदार्थ भरा हुआ पॉलिथीन थैलियां पाई गई जो संख्या 48 थी। जिनका कुल वजन 48 किलोग्राम था। प्रत्येक थैली से दो-दो नमूने 25-25 ग्राम के निकाले गये जिन्हे चिटबंद व सीलबंद किया गया। दिनांक 24.01.2020 को जब्ती अधिकारी श्री पीएम मीणा द्वारा मेरे समक्ष छः बजे जब्ती पंचनामा प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर एम से एन मेरे हस्ताक्षर है। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही पीएम मीणा द्वारा मुर्तिब की कर मेरे समक्ष पेश की गई जिस पर मैने प्रकरण की आगे की कार्यवाही हेतु आर.के चौधरी निरीक्षक को नियुक्त किया जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर सी से डी मेरा पृष्ठांकन व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। इसके बाद हम उक्त कार्यवाही पूर्ण कर पुनः कार्यालय कोटा हेतु प्रस्थान कर गये।

28. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त राकेश, जयराम व श्रवण की ओर से की गई जिरह मे कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 79 के मुताबिक राकेश व श्रवण नाम के व्यक्ति के विरूद्व कोई सूचना सीबीएन को नही थी। यह कहना सही है कि दिनांक 24.01.2020 को हमारे द्वारा राकेश व श्रवण के पजेशन से कोई भी अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त नही हुई थी। यह कहना सही है कि इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री आर. के चौधरी भी जब्ती दल के सदस्य थे। यह कहना सही है कि संदिग्ध व्यक्तियो प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के व्यक्तिगत तलाशी व वाहन की तलाशी में ऐसा कोई दस्तावेज, पर्ची, बिल या अन्य कोई कागज नही मिला कि ये अफीम किस व्यक्ति को बेचने जा रहे।

29. इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र की ओर से की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि जो राजपत्रित

अधिकारी मोके पर मौजूद थे वे हमारे ही विभाग के थे। नमूने सैंपल मेरे समक्ष लिये गये थे। उक्त नमूना सैंपल मालखाने मे जमा कराने हेतु आई ओ को आदेश किये थे। उसके आदेश के अनुसार उसने माल मालखाना में जमा कराया था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा माल व सैंपल को मालखाना मे जमा कराने से पूर्व धारा 55 एनडीपीएस एक्ट की पालना में उनको रीसील्ड कर मालखाना में जमा कराने का आदेश नही दिया था। मोके पर मेरे सामने सीएफएसएल फॉर्म संख्या 4 व 5 भरकर उन पर सील लगाई गई थी। यह कहना सही है कि आर के चौधरी निरीक्षक जब्ती दल के सदस्य थे एंव उन्होने ही इस प्रकरण का अनुसंधान किया था। इस प्रकरण में इन्वेन्ट्री की कार्यवाही हुई अथवा नही मुझे जानकारी नही है क्योकि मेरा स्थानान्तरण हो चुका था। माल व सैंपल को घटना के दिन या घटना के दुसरे दिन मय मुल्जिम के मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर दिया गया था। घटनास्थल से कार्यवाही के बाद मै मेरे दल के साथ कोटा चला गया था। माल व सैंपल को सीबीएन लिखी हुई मार्के की सील से सील्ड मोहर किया गया था। मुखबिर की सूचना मेरे समक्ष आई थी। हम कोटा से किशनगढ शासकीय वाहन से आये थे। मेरे कोटा से किशनगढ व किशनगढ से कोटा वापस जाने बाबत लॉगबुक अनुसंधान अधिकारी को मेरे हस्ताक्षर कर दी थी। मेरे द्वारा मोके की कार्यवाही की एक भी फोटोग्राफी व विडियोग्राफी नही की गई। मुल्जिमान की तलाशी मेरे समक्ष ली गई थी। मुल्जिमान को तलाशी बाबत नोटिस मेरे समक्ष ही दिया था। मुल्जिमान को धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस मेरे समक्ष दिये गये थे। यह कहना सही है कि यह जब्ती की कार्यवाही सूर्यास्त के बाद की गई थी। दो स्वतंत्र गवाह जो मौके पर बुलाये गये उनसे इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह बनने बाबत लिखित सहमती मेरे समक्ष ली थी।

30. इस तरह उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 24-01-2020 को समय 08.00 बजे किशनगढ़ टोल प्लाजा नेशनल हाइवे संख्या 08 पर प्रेमप्रकाश के स्वामित्व के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 में परिवहन कर रहे मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालमसिंह के कब्जे से बिना वैध अनुज्ञा पत्र कुल 48 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। उपरोक्त गवाहान ने एक स्वर में अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के कब्जे के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 से 48

किलोग्राम अवैध अफीम बरामद किये जाने का कथन किया है। इन गवाहान से बचाव पक्ष द्वारा की गई जिहर में भी ऐसे कोई कथन नहीं आये है जिससे अभियोजन कहानी पर संदेह जाहिर होता हो। इन गवाहान से अभियुक्तगण की कोई वैमनश्यता या रंजिश हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है और ना ही ऐसा कोई सुझाव दौराने जिरह बचाव पक्ष द्वारा इन साक्षीगण को दिया गया है। वरन इन साक्षीगण द्वारा भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वभाविक तौर पर साक्ष्य दी गई है जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है।

31. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन व अवैध मादक पदार्थ की जब्ती के स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं ऐसी स्थिति में जब्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। इस संबंध में स्वतंत्र मौतबिर साक्षीगण के जब्ती के समय न होने अथवा उनके पक्षद्रोही हो जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिजवान खां बनाम छत्तीसगढ़ राज्य निर्णय दिनांक 10.09.2020, 2020-5 सुप्रीम 142 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है:-

> There is no law that the evidence of police officials, unless supported by independent evidence, is to be discarded and/or unworthy of acceptance. It is settled law that the testimony of the official witnesses cannot be rejected on the ground of non-corroboration by independent witness. As observed and held by this Court in catena of decisions, examination of independent witnesses is not an indispensable requirement and such nonexamination is not necessarily fatal to the prosecution case, [see Pardeep Kumar (supra)].
>
> In the recent decision in the case of Surinder Kumar vs State of Punjab, (2020) 2 SCC 563, while considering somewhat similar submission of nonexamination of independent witnesses, while dealing with the offence under the NDPS Act, in paragraphs 15 and 16, this Court observed and held as under:
>
> "15. The judgment in Jarnail Singh v. State of Punjab (2011) 3

SCC 521, relied on by the counsel for the respondent State also supports the case of the prosecution. In the aforesaid judgment, this Court has held that merely because prosecution did not examine any independent witness, would not necessarily lead to conclusion that the accused was falsely implicated. The evidence of official witnesses cannot be distrusted and disbelieved, merely on account of their official status.

16. In State (NCT of Delhi) v. Sunil, (2011) 1 SCC 652, it was held as under: (SCC p. 655) "It is an archaic notion that actions of the police officer should be approached with initial distrust. It is time now to start placing at least initial trust on the actions and the documents made by the police. At any rate, the court cannot start with the presumption that the police records are untrustworthy.

As a proposition of law, the presumption should be the other way round. That official acts of the police have been regularly performed is a wise principle of presumption and recognised even by the legislature." Applying the law laid down by this Court on the evidence of police officials/police witnesses to the facts of the case in hand, referred to hereinabove, we are of the opinion as the police witnesses are found to be reliable and trustworthy, no error has been committed by both the courts below in convicting the accused relying upon the deposition of the police officials.

32. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-1 पूरणमल मीणा व मौके के अन्य गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार व पीडब्ल्यू-8 सी प्रसाद व पीडब्ल्यू-9 आर.के. चौधरी ने अपनी साक्ष्य में घटना की दिनांक को अभियुक्तगण के कब्जे के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 से अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी करने का कथन किया है। इन गवाहान ने अपनी साक्ष्य में मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह को मौके पर ही जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-09 व प्रदर्श पी-11 गिरफ्तार किये जाने का कथन किया है। इन

गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा विस्तृत जिरह की गई है, परंतु इस जिरह में भी ये गवाहान अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों पर अडिग रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र गवाहान के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से संपूर्ण अभियोजन कार्यवाहियों को संदेहास्पद होना नहीं माना जा सकता।

33. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम परिवादी विभाग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जो गुप्त सूचना श्री पंकज कुमार पीडब्ल्यू-7 व श्री आर.के. चौधरी पीडब्ल्यू-9 द्वारा प्रदर्श पी-79 के रूप में लेखबद्ध की गई। इस सूचना में यह अंकित किया गया कि " मैं असूचीबद्ध मुखबिर सूचना देता हूं कि मारवाड क्षेत्र के श्री प्रेमप्रकाश पिता भिंयाराम विश्नोई एवं श्री भूपेन्द्र सिंह पिता जब्बर सिंह चारण अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त होकर आज दिनांक 23-01-2020 को समय 22.00 बजे से दिनांक 24-01-2020 को समय 6.00 बजे के बीच ट्रक संख्या क्रमांक आरजे 19 जीबी 2942 में बने गुप्त चेम्बर में लगभग चालिस-पचास किलोग्राम अवैध अफीम लेकर किशनगढ़ होते हुए जोधपुर जायेंगे। यदि किशनगढ़ टोल प्लाजा पर रोककर इनकी तलाशी ली जावे तो अवैध अफीम बरामद हो सकती है। मेरी उक्त दोनों व्यक्तियों से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तथा यह सूचना मैं राष्ट्रहित में दे रहा हूं। मुझे मेरा उचित ईनाम दिलाया जावे।"

34. यह सूचना प्राप्त होने पर उक्त गवाहान द्वारा यह सूचना उनके अधीक्षक श्री सी.प्रसाद पीडब्ल्यू-8 को प्रेषित की गई, जिन्होंने इस सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-2 पूरणमल मीणा को अधिकृत किया, जिसका अंकन प्रदर्श पी-79 के जी से एच भाग में है। तत्पश्चात पूरणमल मीणा पीडब्ल्यू-2 द्वारा मुताबिक सूचना मौके पर जाकर ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 से मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के अनन्य कब्जे से 48 किलोग्राम अफीम जरिये फर्द प्रदर्श पी-4 जब्त की। इस जब्ती को स्वयं पूरणमल मीणा पीडब्ल्यू-2 ने व अन्य गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार ने साबित किया है। उक्त माल को मौके पर नमूना सील लगाकर सील्ड मोहर किया गया है। जिस नमूना सील की फर्द प्रदर्श पी-5 के रूप में प्रस्तुत कर इस फर्द के गवाहान ने अपनी साक्ष्य में इसे प्रमाणित किया है। जिस स्थान से उक्त बरामदगी की गई, उसका

नक्शा मौके प्रदर्श पी-7 भी पत्रावली पर मौजूद है। जिसे मौके पर मुर्तिब किया। जिसे गवाह पीडब्ल्यू-2 पूरणमल मीणा ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है। मौके पर जिस वाहन ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 से उक्त अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया, उसकी जब्ती को प्रदर्श पी-6 के रूप में प्रस्तुत कर इसके गवाहान ने प्रमाणित किया है। जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस ट्रक के आगे के हिस्से में फिफिट प्लेट के स्थान पर बने गुप्त चैम्बर में 48 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद कर इसे जब्त किया गया। इस फर्द द्वारा इस वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों को भी मौके पर ही जब्त किया गया है। उक्त जब्तशुदा अवैध अफीम को मालखाना में जमा करवाया गया है, जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-77 में अंकित है। इस मालखाना के गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार ने इस माल को दिनांक 25-01-2020 को विभागीय मालखाना में जमा कराये जाने का कथन किया है। मौके पर मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह को अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त पाये जाने पर उन्हें जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-9 व पी-11 गिरफ्तार किया गया है। मौके पर की गई उक्त कार्यवाही की सूचना धारा 57 अधिनियम के तहत जरिये प्रदर्श पी-91 श्रीमान अधीक्षक महोदय कोटा को प्रेषित की गई है। जिसे प्रेषित किया जाना गवाह पीडब्ल्यू-9 आर.के. चौधरी ने अपनी साक्ष्य में अंकित किया है एवं इसे प्राप्त करना गवाह पीडब्ल्यू-8 सी. प्रसाद ने अपनी साक्ष्य में बताया है।

35. उक्त सभी दस्तावेजों को अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्णत प्रमाणित किया गया है। इस तरह अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य तथा दस्तावेजात प्रदर्श पी-4 लगायत पी-7, पी-9, पी-11, पी-77, पी-79, पी-91 व अन्य दस्तावेजों से दिनांक 24-01-2020 को किशनगढ़ टोल प्लाजा एनएच 8 पर अभियुक्त प्रेम प्रकाश व भूपेन्द्र के अनन्य कब्जे के ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 से 48 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद होना पूर्णतः प्रमाणित है।

36. जहां तक अभियुक्त प्रेमप्रकाश का वक्त जब्ती, जब्त ट्रक का स्वामी होने का प्रश्न है तो इन गवाहान ने अपनी साक्ष्य से ट्रक की जब्ती प्रदर्श पी-06 व अवैध मादक पदार्थ की जब्ती प्रदर्श-04 को साबित किया है। फर्द

जब्ती वाहन प्रदर्श पी-06 व वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, वाहन की बीमा पॉलिसी, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, आथोराईजेशन सर्टिफिकेट, नेशनल परमिट प्रदर्श पी-16 लगायत 21 से वाहन संख्या आरजे 19 जीबी 2942 का पंजीकृत स्वामी मुलजिम प्रेमप्रकाश का होना साबित है। उक्त बरामदशुदा अफीम को रखने एवं परिवहन करने का अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र हो, ऐसा कोई तर्क बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है, ना ही ऐसा कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट बचाव पक्ष द्वारा पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है। लिहाजा अभियुक्त प्रेमप्रकाश का जब्तशुदा ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 का पंजीकृत स्वामी होना व अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह के पास उक्त बरामदशुदा अफीम को अपने कब्जे में रखने व परिवहन करने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होना भी पूर्णतः प्रमाणित है।

37. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रकरण में अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना विधिवत की गई ? हम इस संबंध में प्रत्येक प्रावधान पर पृथक-पृथक विचार करते है।

धारा 41 व 42 अधिनियम की पालना

38. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में जो जब्ती की कार्यवाही की गई है वह सूर्यास्त के पश्चात व सूर्यादय से पूर्व की गई है एवं यह कार्यवाही धारा 41, 42 अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत की गई है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 41 का अवलोकन करें तो धारा 41 (2) व (3) में यह उपबंधित किया गया है कि-

39. (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, पैरा सैन्य बल अथवा सशस्त्र बल भी है, राजपत्रित पक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता हैं, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार के, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा इस

निमित्त सशक्त किया जाता हैं, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ या नियन्त्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती हैं या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी सम्पत्ति या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रूप से अर्जित ऐसी कोई संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5-क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या स्थान में रखी या छिपाई गई है, अपने अधीनस्थ किन्तु चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अथवा किसी भवन, प्रवहण अथवा स्थान की, दिन में या रात में, तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी ले सकेगा।

40. (3) ऐसे अधिकारी को, जिसको उप-धारा (1) के अधीन कोई वारन्ट संबोधित किया जाता है और ऐसे अधिकारी को, जो गिरफ्तारी या तलाश को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को, जिसे उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होगी।

41. उक्त उपबंध का हस्तगत प्रकरण के संबंध में अवलोकन करें तो उपनारकोटिक्स आयुक्त कोटा के अधीक्षक सी. प्रसाद स्वयं हस्तगत प्रकरण में पीडब्ल्यू-08 के रूप में प्रस्तुत होकर परीक्षित हुए हैं। जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में उनके अधीनस्थ आर.के. चौधरी व पंकज कुमार द्वारा सूचना प्रदर्श पी-79 देने, जिस पर पूरणमल मीणा निरीक्षक को नियुक्त करने, तत्पश्चात घटनास्थल पर पहूंच कर प्रश्नगत वाहन को रोकने तत्पश्चात उनकी तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार को नियुक्त कर उनकी तलाशी की कार्यवाही किए जाने का कथन किया है। इस गवाह के कथनों की पुष्टि भी जब्ती अधिकारी व अन्य गवाहान द्वारा अपने

बयानों में की गई है। इस तरह उपरोक्त विवेचन से अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि जब्ती अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हो।

42. जहां तक धारा 42 अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गवाह आर.के चौधरी पीडब्ल्यू-9 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि ''दिनांक 23.01.2020 को मै कार्यालय उपनारकॉटिक्स आयुक्त कोटा में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उस दिन शाम को लगभग 05 बजे मुझे एवं श्री पंकज कुमार निरीक्षक को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मारवाड क्षेत्र के प्रेमप्रकाश पुत्र भिंयाराम विश्नोई एवं भूपेन्द्र सिंह पुत्र जबरसिंह चारण अवैध अफीम की तस्करी में लिप्त होकर ये दोनो आज दिनांक 23.01.2020 को समय रात्रि दस बजे से दिनांक 24.01.2020 को समय सुबह 6 बजे के बीच तक ट्रक क्रमांक आरजे 19 जीबी 2942 से लगभग चालीस से पचास किलोग्राम अफीम उक्त ट्रक में बने गुप्त चैम्बर में छुपाकर किशनगढ होते हुए जोधपुर जायेंगे। मुखबिर ने यह भी बताया कि उक्त दोनो व्यक्तियो से उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है एवं वह यह सूचना राष्ट्रीय हित में दे रहा है। प्राप्त सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने से मेरे एवं श्री पंकज कुमार निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर सूचना प्रपत्र सीबीएन 01 में दर्ज कर अपने निकटतम वरिष्ठत राजपत्रित अधिकारी श्री सी. प्रसाद अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा श्री पूरणमल मीणा निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। मुखबिर सूचना की एक प्रति उप नारकॉटिक्स कोटा एवं एक प्रति सहायक नारकॉटिक्स आयुक्त ग्वालियर को भी भिजवाई गई। मुखबिर सूचना प्रदर्श पी 79 है जिसके आई से जे भाग पर मेरे हस्ताक्षर है जी से एच भाग पर श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा पूरणमल को किये गये आदेश का पृष्ठांकन है। तत्पश्चात अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये आदेश की पालना में श्री पीएम मीणा निरीक्षक द्वारा एक निवारक दल का गठन किया गया। जिसमें श्री सी प्रसाद अधीक्षक स्वंय एवं मै भी शामिल था।" यही कथन अन्य गवाह पीडब्ल्यू-7 पंकज कुमार ने अपनी साक्ष्य में किये हैं। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श पी-79 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस सूचना को श्रीमान अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया गया है। जिस अधीक्षक महोदय को

न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू-9 सी.प्रसाद के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में इस सूचना को गवाह पंकज कुमार व आर.के. चौधरी द्वारा उसे प्रेषित किए जाने का कथन किया है। इन साक्षियों से बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं आया है, जिससे अभियोजन कहानी पर कोई संदेह जाहिर हो। लिहाजा ऐसी स्थिति में गवाह पीडब्ल्यू-9 आर.के. चौधरी व गवाह पीडब्ल्यू-7 पंकज कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 42 के तहत सूचना उच्च अधिकारी पीडब्ल्यू-8 सी. प्रसाद अधीक्षक, सी.बी.एन. कोटा विभाग को भेजना व उसे प्राप्त हो जाना साबित है। इस तरह हस्तगत प्रकरण में अधिनियम की धारा 42 (2) के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है।

<u>धारा 50 अधिनियम की पालना</u>

43. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 50 अधिनियम के प्रावधानों की अक्षरशः पालना नहीं की गयी है जो कि आज्ञापक है।

44. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी द्वारा मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह को धारा 50 अधिनियम का नोटिस प्रेषित किया गया है, जिस नोटिस को पत्रावली पर प्रदर्श पी-2 व 3 के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया है। इन नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नोटिस दिये जाने के पश्चात मुलजिमान ने स्वयं की तथा अपने वाहन की तलाशी राजपत्रित अधिकारी से करवाने का अनुरोध किया, जिस पर राजपत्रित अधिकारी पीडब्ल्यू- 5 राजेन्द्र कुमार को मोके पर तलब किया गया व इस गवाह की उपस्थिति में मुलजिम के वाहन की तलाशी लेकर जब्ती की कार्यवाही की गई।

45. गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में भी स्पष्ट रूप से मुलजिमान को धारा 50 अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी-2 व 3 दिये जाने का कथन किया गया एवं राजपत्रित अधिकारी पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी उपस्थिति में मौके पर मौजूद ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 की तलाशी ली गई तो उस ट्रक के फिफिट प्लेट के नीचे बने गुप्त चेम्बर से

48 किलो अवैध अफीम की बरामदगी की गई। यह अधिकारी पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र राजपत्रित अधिकारी नहीं हो। इस संबंध में कोई भी सुझाव दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा नहीं दिया गया है। इस तरह यह साबित है कि हस्तगत प्रकरण में धारा 50 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गई है।

<u>धारा 55 की पालना एवं नमूना सेम्पल का एफएसएल में सीलबन्द स्थिति में होना-</u>

46. इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन साक्षी पी.ड.2 सुभाषचंद मीणा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 25-01-2020 को उक्त जब्त अफीम से निकाले गये नमूनो में से नमूना मार्का 1ए लगायत 48ए कुल 48 सैंपल रासायनिक परीक्षण हेतु शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच में ले जाने हेतु श्री सी. प्रसाद अधीक्षक द्वारा अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी-82 मय टेस्ट मीमो के साथ उक्त सैंपल सील बंद अवस्थान में उसे सुपुर्द किये थे। जिनको सीलबंद अवस्था में जमा करवाकर अभिस्वीकृति गेट पास संख्या 19 दिनांक 25-01-2020 प्राप्त की गई जिसे अधीक्षक को सुपुर्द किया।

47. उक्त गवाह के कथनों की पुष्टी स्वयं उक्त लेबोरेट्री में कैमिकल परीक्षक ग्रेड-।। के पद पर कार्यरत गवाह पीडब्ल्यू-06 डॉ. विट्ठल शेरावत ने की है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि "मै दिनांक 25.01.2020 को अफीम लेबोरेट्री नीमच मध्यप्रदेश में कैमिकल परीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सीबीएन कोटा, के मुकदमा नम्बर 01/2020 में जब्त कुल 48 सैंपल टेस्ट मीमो के साथ व अन्य पत्रादि के साथ श्री पंकज कुमार इंस्पेक्टर लेकर आये थे। पहले सभी सैंपल को सील के साथ मैच किया गया था। सैंपल पैकेट के उपर जो सील थी वही सील टेस्ट मीमो के उपर भी थी तथा सभी सील सही अवस्था में लगी हुई थी। सभी सैंपल को जांच करने के बाद कैमिकल एंड क्रॉमोटोग्राफी एनालिसिस के बाद सभी सैंपल अफीम कंफर्म हुए। टेस्ट मीमो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर, व एक्स स्थान पर नमूना सील है तथा उक्त टेस्ट मीमो की पुश्त पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है तथा ई से एफ ए. सोमराजन असिस्टेंट केमिकल परीक्षक के हस्ताक्षर है

जो मेरे अधिनस्थ होने के कारण मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं। हमारे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है ई से एफ ए. सोमराजन असिस्टेंट केमिकल परीक्षक के हस्ताक्षर है जो मेरे अधिनस्थ होने के कारण मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हूं तथा एक्स स्थान पर हमारे विभाग की सील लगी है।" प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी-78 के अनुसार Each of the forty eight samples, marked as 1-A to 48-A is in the form of dark brown pasty Mass. On the basis of chemical and Chromataographic examinations, It is concluded that each samples under reference has the characteristics composition of opium. होना पाया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास का कारण नहीं है एवं इस न्यायालय के मत में उपरोक्त साक्ष्य से धारा 55 की पालना एवं नमूना सेम्पल मार्क 1-A to 48-A का एफएसएल में सीलबंद स्थिति में जमा होना व इनका अवैध मादक पदार्थ अफीम होना साबित है।

<u>प्रकरण का मुद्दा माल</u>

48. गवाह पीडब्ल्यू-9 आर.के चौधरी, निरीक्षक आयुक्त कोटा की साक्ष्य के दौरान मुद्दा माल प्रस्तुत हुआ है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है कि जब्तशुदा माल से निकाले गए सैंपल A1 to A48 व जब्तशुदा वाहन को उसने दिनांक 25-01-2020 को मालखाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार पीडब्ल्यू-5 को जमा करवाया। इन सैंपलों को गवाह पीडब्ल्यू-7 पंकज कुमार ने मय टेस्ट मीमो शासकीय अफीम एवं छारोत कारखाना नीमच में जमा करवाये जाने का कथन किया। गवाह पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार, जो कि वक्त घटना मालखाना प्रभारी था, ने भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की है।

49. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि हस्तगत प्रकरण में नमूना सेंपल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं लिए गए, ना ही उन्हें किसी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाया गया, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत भारत आम्बले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2025 आईएनएससी 78 में निम्न सिद्धांत अभिनिर्धारित किया गया है कि-

We summarize our final conclusion as under: -

(I) Although Section 52A is primarily for the disposal and destruction of seized contraband in a safe manner yet it extends beyond the immediate context of drug disposal, as it serves a broader purpose of also introducing procedural safeguards in the treatment of narcotics substance after seizure inasmuch as it provides for the preparation of inventories, taking of photographs of the seized substances and drawing samples therefrom in the presence and with the certification of a magistrate.

Mere drawing of samples in presence of a gazetted officer would not constitute sufficient compliance of the mandate under Section 52A sub-section (2) of the NDPS Act.

(II) Although, there is no mandate that the drawing of samples from the seized substance must take place at the time of seizure as held in Mohanlal (supra), yet we are of the opinion that the process of inventorying, photographing and drawing samples of the seized substance shall as far as possible, take place in the presence of the accused, though the same may not be done at the very spot of seizure.

(III) Any inventory, photographs or samples of seized substance prepared in substantial compliance of the procedure prescribed under Section 52A of the NDPS Act and the Rules / Standing Order(s) thereunder would have to be mandatorily treated as primary evidence as per Section 52A sub-

section (4) of the NDPS Act, irrespective of whether the substance in original is actually produced before the court or not. (IV) The procedure prescribed by the Standing Order(s) / Rules in terms of Section 52A of the NDPS Act is only intended to guide the officers and to see that a fair procedure is adopted by the officer in-charge

of the investigation, and as such what is required is substantial compliance of the procedure laid therein.

(V) Mere non-compliance of the procedure under Section 52A or the Standing Order(s) / Rules thereunder will not be fatal to the trial unless there are discrepancies in the physical evidence rendering the prosecution's case doubtful, which may not have been there had such compliance been done. Courts should take a holistic and cumulative view of the discrepancies that may exist in the evidence adduced by the prosecution and appreciate the same more carefully keeping in mind the procedural lapses.

(VI) If the other material on record adduced by the prosecution, oral or documentary inspires confidence and satisfies the court as regards the recovery as-well as conscious possession of the contraband from the accused persons, then even in such cases, the courts can without hesitation proceed to hold the accused guilty notwithstanding any procedural defect in terms of Section 52A of the NDPS Act. (VII) Non-compliance or delayed compliance of the said provision or rules thereunder may lead the court to drawing an adverse inference against the prosecution, however no hard and fast rule can be laid down as to when such inference may be drawn, and it would all depend on the peculiar facts and circumstances of each case.

(VIII) Where there has been lapse on the part of the police in either following the procedure laid down in Section 52A of the NDPS Act or the prosecution in proving the same, it will not be appropriate for the court to resort to the statutory presumption of commission of an offence from the possession of illicit material under Section 54 of the NDPS Act, unless the court is otherwise satisfied as regards the seizure or recovery of such material from the accused persons from the other material on record.

(IX) The initial burden will lie on the accused to first lay the foundational facts to show that there was non-compliance of Section 52A, either by leading evidence of its own or by relying upon the evidence of the prosecution, and the standard required would only be preponderance of probabilities.

(X) Once the foundational facts laid indicate non-compliance of Section 52A of the NDPS Act, the onus would thereafter be on the prosecution to prove by cogent evidence that either (i) there was substantial compliance with the mandate of Section 52A of the NDPS Act OR (ii) satisfy the court that such non-compliance does not affect its case against the accused, and the standard of proof required would be beyond a reasonable doubt.

50. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि जब्ती अधिकारी द्वारा जो जब्ती की गई उसे सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नहीं करवाया गया इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करे तो पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर प्रदर्श पी.96 लगायत 450 अनुसंधान अधिकारी द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट से धारा 52 ए एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत करवाई गई कार्यवाही है। इसके अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विधिनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा जब्ती अधिकारी द्वारा की गई जब्ती व सेम्पल को प्रमाणित किया गया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क कि मजिस्ट्रेट साहब द्वारा केवल दस किलो अफीम की ही इन्वेन्ट्री कार्यवाही की गई, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि इन्वेन्ट्री कार्यवाही की आदेशिका दिनांकित 15-07-2020 व 16-07-2020 के दस्तावेज से स्पष्ट हे कि संपूर्ण 48 किलो जब्तशुदा अफीम की इन्वेन्ट्री कार्यवाही श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01 कोटा द्वारा की गई है। अधिवक्ता अभियुक्तगण को इस तर्क से भी कोई मदद नहीं मिलती है कि एफएसएल में जमा नमूना सेंपलों के वजन 25 ग्राम से अधिक थे, क्योंकि यह सेंपल दिनांक 25-01-2020 को एफएसएल में भेजे गये है, व वजन थैली सहित किया गया है, ऐसी स्थिति में इतना मामूली अंतर आना स्वभाविक है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क स्वीकार किये

जाने योग्य नहीं है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा सक्षम मजिस्ट्रेट से उक्त बरामदगी को प्रमाणित नहीं करवाया गया।

51. धारा 52-क स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 की उपधारा 4 के अनुसार-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का 1) या दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा(2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका,(स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी प्रदार्थो, नियंत्रित पदार्थो का हस्तान्तररणों) के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

52. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने सील्डशुदा तथा कंट्रोल सैंपल को आर्टिकल 2 लगायत 48 के रूप में प्रस्तुत कर साबित किया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने State of Rajasthan vs. SahiRam (2019) 10 SCC 649, के सम्मानीय विनिश्चिय में प्रतिपादित किया है किwhen the seizure of material is proved on record and is not even disputed, the entire contraband material need not be placed on record. इसी तरह Than Kumar vs. State of Haryana (2020) 5 SCC 260, के सम्मानीय विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि- if seizure is otherwise proved and the samples taken from and out of contraband material were kept intact; the report of forensic expert shows potency, nature and quality of contraband material, essential ingredients constituting offence are made out and the nonproduction of contraband in the Court is not fatal.

53. उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण से बरामदशुदा माल के कंट्रोल सेम्पल न्यायालय में प्रस्तुत हुए है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज .राज्य बनाम सहीराम क्रिमीनल अपील नं.1497/2019 के सम्मानीय विनिश्चिय में यह अवधारित किया गया है कि यदि माल की जब्ती अन्यथा रिकार्ड से साबित हो जाती है तो संपूर्ण अवैध मादक पदार्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता

नहीं है। यदि जब्ती अन्यथा साबित है तो मात्र यही साबित करने की आवश्यकता है कि जब्तशुदा माल से लिये गये नमूने एफएसएल हेतु भेजते समय इन्टेक्ट रहे थे। हस्तगत प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू-6 डॉ. विट्ठल शेरावत ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "मै दिनांक 25.01.2020 को अफीम लेबोरेट्री नीमच मध्यप्रदेश में कैमिकल परीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सीबीएन कोटा, के मुकदमा नम्बर 01/2020 में जब्त कुल 48 सैंपल टेस्ट मीमो के साथ व अन्य पत्रादि के साथ श्री पंकज कुमार इंस्पेक्टर लेकर आये थे। पहले सभी सैंपल को सील के साथ मैच किया गया था। सैंपल पैकेट के उपर जो सील थी वही सील टेस्ट मीमो के उपर भी थी तथा सभी सील सही अवस्था में लगी हुई थी। सभी सैंपल को जांच करने के बाद कैमिकल एंड क्रॉमोटोग्राफी एनालिसिस के बाद सभी सैंपल अफीम कंफर्म हुए। "

54. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल्लू खां बनाम राजस्थान राज्य 2021 एस.सी.सी. आनलाईन एस.सी. 1223 के सम्मानीय विनिश्चय में निर्णय दिनांक 11.12.2021 में भी यही मत प्रकट किया है।

55. हस्तगत प्रकरण में धारा 52ए की कार्यवाही अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 01 कोटा द्वारा की गई है। जिसे पत्रावली पर अभियोजन ने प्रदर्श पी-97 लगायत 450 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। इस तरह उपरोक्त विवेचना अनुसार अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से सिद्ध हो गया है कि दिनांक 24-01-2020 को किशनगढ़ टोल प्लाजा पर ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 में से मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह के संयुक्त कब्जे से बिना वैध अनुज्ञा पत्र क्रमशः 48 किलोग्राम अफीम बरामद की गई।

56. जहां तक जब्तशुदा वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रश्न है। इस संबंध में हमारा मत है कि फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी. 06 में वाहन का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित है। इस प्रकार वाहन का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।

<u>धारा 57 अधिनियम की पालना</u>

57. इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-2 पूरणमल मीणा द्वारा धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी-12 उसके अधीक्षक को प्रेषित की गई है, जिस सूचना प्रदर्श पी-12 के जी से एच भाग पर इस सूचना को प्राप्त करने वाले अधीक्षक महोदय के हस्ताक्षर है। सूचना प्राप्त करने वाले अधीक्षक सी. प्रसाद को भी अभियोजन ने पीडब्ल्यू-8 के रूप में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया है। इस गवाह ने भी अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी-12 उसे प्राप्त होने का कथन किया है। इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जब्ती कार्यवाही के संबंध में धारा 57 अधिनियम के तहत कार्यवाही बाबत सूचना अपने उच्च अधिकारी को नियत समयावधि में प्रेषित कर दी थी। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

58. मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि दिनांक 23.01.2020 को समय 22.30 बजे पर मुताबिक सूचना के जब्ती अधिकारी पीडब्ल्यू-2 पूरणमल मीणा ने किशनगढ़ टोल प्लाजा नेशनल हाइवे संख्या 8 पर अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश के स्वामित्वशुदा ट्रक संख्या आरजे 19 जीबी 2942 में अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह के संयुक्त कब्जे से 48 प्लास्टिक की थैलियों में कुल 48 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। जिसको अपने कब्जे में रखने बाबत अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा-पत्र नहीं था। अतः मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रेमप्रकाश के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/29 व 8/25 तथा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/29 अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है। अतः उक्त प्रश्न बिन्दु संख्या 01 लगायत 03 अभियोजन के पक्ष में तय किये जाते हैं। अतः अभियुक्त प्रेमप्रकाश आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/29 व 8/25 तथा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B), 8/29 अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने योग्य पाए जाते हैं।

<u>विचारणीय बिंदू संख्या 04</u>

59. अब हम अभियुक्तगण राकेश, श्रवण व जयराम के विरूद्ध आरोपित अपराध पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि मुलजिमान को ना तो मौके पर गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनके कब्जे व निशादेही से कोई अफीम बरामद की गई है। मात्र सह अभियुक्त प्रेमप्रकाश द्वारा किये गये कथनों के आधार पर उन्हें मुलजिम नहीं माना जा सकता। इस संबंध में जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पीडब्ल्यू-2 जब्ती अधिकारी पूरणमल मीणा, पीडब्ल्यू-5 राजेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू-8 सी. प्रसाद व पीडब्ल्यू-9 आर.के. चौधरी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि अभियुक्तगण राकेश, श्रवण व जयराम से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है, ना ही प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह की व्यक्तिगत तलाशी व वाहन की तलाशी में ऐसा कोई दस्तावेज, पर्ची, बिल या अन्य कोई कागज बरामद किए गए है जिससे यह साबित होता हो कि ये अफीम किस व्यक्ति को बेचने जा रहे थे। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-4 में भी ऐसा कोई अंकन नहीं है कि वक्त बरामदगी मुलजिम प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र उर्फ जालम सिंह ने मुलजिमान श्रवण, जयराम व राकेश से अफीम खरीदना बताया हो। अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह तथा राकेश के मध्य अफीम खरीदने-बेचने के संबंध में टेलिफोनिक वार्ता होना बताया गया है, परंतु मात्र कॉल डिटेल के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त राकेश द्वारा अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह के मध्य उक्त अफीम के संबंध में ही कोई वार्ता हुई हो।

60. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत तोफन सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य (2021) 44 SCC 1 तथा संजीव अग्रवाल बनाम भारत संघ (2021) CRLR SC 791 में धारा 67 एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अभिरक्षा में रहने के दौरान पुलिस को इस प्रकार की गई आपराधिक संस्वीकृति विधितः साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी ऐसी साक्ष्य स्वीकार व साबित नहीं की जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में सह अभियुक्त के धारा 67 एनडीपीएस के बयानों के आधार पर मुलजिमान राकेश, जयराम व

श्रवण को अभियुक्त होना नहीं माना जा सकता।

61. जहां तक श्रवण द्वारा मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र को जब्तशुदा अफीम परिवहन हेतु दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में मुलजिम प्रेम प्रकाश के जो धारा 67 अधिनियम के बयान प्रदर्श पी-8 लेखबद्ध किये गये, उन बयानों में मुलजिम प्रेमप्रकाश ने श्रवण का नाम अंकित नहीं किया है। अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह ने भी अपने बयान प्रदर्श पी-10 में मुलजिम श्रवण द्वारा उन्हें माल दिये जाने का तथ्य अंकित नहीं किया है। केवल यही अंकित किया है कि राकेश का आदमी प्रेमप्रकाश को माल देकर गया था। मुलजिम राकेश द्वारा प्रेमप्रकाश को उसके मोबाइल पर उक्त अफीम के संबंध में ही फोन किया गया हो, ऐसी कोई प्रमाणिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि हस्तगत प्रकरण के सह अभियुक्त श्रवण, जयराम व राकेश से किसी अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है। बैक खाता विवरण प्रदर्श पी-477 से भी यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त जयराम ने उक्त अवैध अफीम के परिवहन के पेटे ही राशि सह अभियुक्तगण के खाते में अंतरित की। हस्तगत प्रकरण में मुखबीर द्वारा जो इत्तला दी गई, उस इत्तला प्रदर्श पी-79 में सह अभियुक्तगण राकेश, जयराम व श्रवण का नाम अंकित है। हस्तगत प्रकरण में मोबाइल नंबरों से संबंधित जो रिकोर्ड प्रस्तुत किये गये, वे मोबाईल अभियुक्तगण द्वारा ही उपयोग-उपभोग में लिये जाते हो, ऐसी भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 19 जीबी 2942 का पंजीकृत स्वामी, पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-16 से मुलजिम प्रेमप्रकाश का होना साबित होता है, ना कि मुलजिम श्रवण का। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि मुलजिमान प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह के कब्जे से जब्तशुदा अफीम मुलजिमान श्रवण, जयराम व राकेश द्वारा आपराधिक षडयंत्र व दुष्प्रेरण कर खरीद/परिवहन कराया गया।

62. इस तरह मुलजिमान राकेश, जयराम व श्रवण के विरूद्ध आरोपित अपराध को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से

असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण राकेश धारा 8/18(B), 8/29 एनडीपीएस एक्ट तथा अभियुक्त श्रवण धारा 8/18(B), 8/29 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त जयराम धारा 8/18(B), 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

आदेश

63. अतः अभियुक्तगण 1- प्रेमप्रकाश पुत्र श्री भीयाराम विशनोई, उम्र 39 वर्ष, निवासी केरियो की ढाणी, रामनगर तहसील एवं थाना बिलाडा. जिला जोधपुर (राज) को धारा 8/18(B), 8/25 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, 2- भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र जब्बर सिंह, उम्र 36 वर्ष निवासी चारणो का वास, ग्राम सुरायता, तहसील सोजत सिटी थाना शिवपुरा जिला पाली (राज.) को धारा 8/18(B), 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। एवं अभियुक्तगण राकेश व जयराम को धारा 8/18(B), 8/29 एनडीपीएस एक्ट व अभियुक्त श्रवण को धारा 8/18(B), 8/25 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

64. अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह जमानत पर आजाद है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। मुलजिम प्रेमप्रकाश आज न्यायालय में अनुपस्थित है, जिसे पृथक से गिरफ्तारी वारंट से तलब करने हेतु आदेशित किया जताा है।

(संदीप आनन्द)
विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज
संख्या-1, किशनगढ़ जिला अजमेर

<u>सजा के प्रश्न पर सुना गया।</u>

65. विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा की अफीम बरामद हुई है। अतः उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

66. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाये और उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जावे।

67. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण प्रेमप्रकाश व भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह के संयुक्त कब्जे से कुल मिलाकर 48 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है जो वाणिज्यिक मात्रा की है। वर्तमान में अवैध अफीम के परिवहन में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

68. अतः अभियुक्त 1- प्रेमप्रकाश पुत्र श्री भीयाराम विशनोई, उम्र 39 वर्ष, निवासी केरियो की ढाणी, रामनगर तहसील एवं थाना बिलाडा. जिला जोधपुर (राज) को धारा 8/18(B), 8/25 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराधो में निम्नानुसार दंडित किया जाता है-

1- धारा 8/18(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु चौदह वर्ष का कठोर कारावास एवं 100,000/-रू. (अक्षरे एक लाख रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

2- धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु चौदह वर्ष का कठोर कारावास एवं 100,000/-रू. (अक्षरे एक लाख रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

3- धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु चौदह वर्ष का

कठोर कारावास एवं 100,000/-रू. (अक्षरे एक लाख रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। अभियुक्तगण की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

69. अभियुक्त 2- भूपेन्द्र सिंह उर्फ जालम सिंह पुत्र जब्बर सिंह, उम्र 36 वर्ष निवासी चारणो का वास, ग्राम सुरायता, तहसील सोजत सिटी थाना शिवपुरा जिला पाली (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 8/18(B) व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराधो में निम्नानुसार दंडित किया जाता है-

1- धारा 8/18(B) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु चौदह वर्ष का कठोर कारावास एवं 100,000/-रू. (अक्षरे एक लाख रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

2- धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध हेतु चौदह वर्ष का कठोर कारावास एवं 100,000/-रू. (अक्षरे एक लाख रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक वर्ष का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। अभियुक्तगण की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

70. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत अभियुक्तगण द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जाये। अभियुक्तगण का सजा वारंट उक्तानुसार तैयार किया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये।

71. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल को बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी, अपील व निगरानी न होने की सुरत में पुलिस

अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार निस्तारित किया जावे एवं अपील/निगरानी होने की सुरत में माननीय अपीलीय/निगरानी न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

72. चूंकि अभियुक्त प्रेमप्रकाश को अधिनियम की धारा 8/25 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध का दोषी करार दिया गया है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या संख्या आरजे 19 जीबी 2942 चेचिस नंबर 415206CQZ301277 इंजन नंबर 160HP90C62737230 को आदेश दिनांक 17.02.2024 द्वारा प्रार्थी प्रेमप्रकाश को सुपुर्दगी पर दिया गया है, जो राजसात किया जाकर बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी, अपील व निगरानी न होने की सुरत में नियमानुसार निलाम किया जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। इस संबंध में भी संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावे।

(संदीप आनन्द)
विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज
संख्या-1, किशनगढ़ जिला अजमेर

73. यह निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. कैसेज
संख्या-1, किशनगढ़ जिला अजमेर

SUNIL SONI
Steno Gr. II "Authenticate Document"
Digitally signed by SUNIL SONI
Date: 2026.05.11 12:55:46 +0530